शुक्रवार,
४ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, ४ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजकोष से जारी की हुई पूंजी

*५९९. **श्री एस० एन० दास** : **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्यकोष से पूंजी जारी करने की प्रणाली के सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान १-१२-५३ को उन के तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के प्रति दिए गए मेरे उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि लोक लेखा समिति ने राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों को सरकार द्वारा निजी सीमित कम्पनियों में परिवर्तित करने के बारे

में जो राय दी थी, क्या सरकार ने उस पर विचार किया है और उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो सरकार का क्या निणय है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान विभिन्न राज्यों को दिये गये अनुदानों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिश और इस विषय में नियन्त्र के महा लेखा परीक्षक द्वारा दिये गये सुझावों की ओर दिलाया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हम लोक लेखा समिति और नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक की सब सिफारिशों पर ध्यान देते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह उठे—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

जाली सिक्के बनाने के अड्डे

*६००. **डा० राम सुभग सिंह** : **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक जाली सिक्के बनाने के कितने अडडों पर छापा मारा गया है ; तथा

(ख) इन अड्डों को चलाने के अपराध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४**] अधिक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होने पर इसी तरह पटल पर रखी जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : विवरण में बतलाया गया है कि ३४ अड्डों पर छापा मारा गया था और ७६ व्यक्तियों को गिरफतार किया गया था । इन में कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है और क्या जाली सिक्के बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को ज़बत कर के नष्ट कर दिया गया था ?

श्री दातार : प्रश्न के उत्तर में दी हुई जानकारी के प्राप्त होने के समय तक २७ व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था और ३ व्यक्तियों को दंड दिया जा चुका है। दूसरों के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से इस प्रश्न का उत्तर कब प्राप्त हो जायेगा ?

श्री दातार : यह हमें लगभग दो मास तक प्राप्त हो जायेगा ।

श्री पुन्नूस : पहले एक अवसर पर गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन में जाली सिक्कों का निर्माण एक कुटीरोद्योग बन गया है ।

आश्चर्य की बात है कि त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में किसी छापे का उल्लेख नहीं है ।

क्या मैं यह समझ लूं कि वहां कोई छापा नहीं मारा गया ?

श्री दातार : संभव है कि वहां यह अपराध कम हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

थाईलैंड को भेजा गया भारतीय पुरातत्ववेत्ता

*६०१. **डा० राम सुभग सिंह** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थाईलैंड को कोई भारतीय पुरातत्ववेत्ता भेजा था ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिए ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) भारत व थाईलैंड के संस्कृति सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देने के लिए ।

डा० राम सुभग सिंह : भारतीय संस्कृति का वहां की आरकियालोजी पर काफी प्रभाव है । इस लिये उससे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और उसकी छानबीन करने के लिए क्या यहां से और किसी अफ़सर को भेजने की योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय :जी नहीं, ऐसा तो नहीं है । हमारे एम्बेसी में बैंकाक में करीब अस्सी हज़ार की एक रकम है जो पुराने ज़माने की इंडिपेंडेंस आरगेनाइज़ेशन के सिलसिले में हिन्दुस्तानियों की पड़ी है । यह योजना की गई है कि उसी रकम के इंटरेस्ट से हिन्दुस्तान से हर साल आदमी भेजे जाया करें जो हिन्दुस्तान व थाइलैंड के कल्चर सम्बन्धी विषयों पर लेक्चर वहा दिया करें । डाक्टर राम चन्द आरकियालोजी विभाग की तरफ से नहीं भेजे गये हैं बल्कि वह इसलिये भेजे गये हैं कि वह एक स्कालर हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया, ८० हज़ार वह रुपया जो कि वहां इकट्ठा किया गया था वहां के भारतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योग देने के लिये क्या उस के इस

प्रकार बगैर खर्च हुए भी उसका जिक्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में किया जायेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : वहां के लोगों ने यह फैसला किया था कि यह रुपया जो बैंक में रखा गया है और जिसकी बरस वार आमदनी दो हजार आठ सौ है, इस काम में खर्च किया जाये । गर्वनमेंट आफ़ इन्डिया ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली है । चुनांचि हर साल यहां से एक स्कालर भेजा जाता है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उस देश में कुछ गैर सरकारी या भारतीय संस्थायें भी हैं और क्या हमारे दूतावास के अतिरिक्त इन गैर सरकारी संस्थाओं से भी हमारे शिक्षा विभाग का कोई संबन्ध है ?

मौलाना आज़ाद : मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता । मैं समझता हूं कि कुछ सम्बन्ध है । गवर्नमेंट इस पर और ध्यान देगी ।

बीमा समवाय (धन विनियोग)

*६०२. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीमा समवायों के संचालक अपनी बीमा परिसम्पत् का कितना प्रति शत भाग भूसम्पत्ति में विनियोजित करते हैं ?

(ख) क्या सरकार किन्हीं ऐसे नियमों पर विचार कर रही है जिन के अनुसार परिसम्पत् का एक सीमित भाग ही किसी विशिष्ट प्रकार के विनियोग के लिये प्रयुक्त किया जा सके ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) ३१-१२-१९५१ तक के आंकड़ों के अनुसार बीमा समवायों के संचालकों की कुल परिसम्पत् का लगभग ५ प्रतिशत भाग तथा गृह-सम्पत्ति में विनियोजित था ।

(ख) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २७ क के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, किन्हीं और नियमों को आवश्यक नहीं समझा जाता ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल पांच प्रतिशत रकम भूमि या उससे सम्बन्ध रखने वाली स्थायी संसम्पति में लगी है । बाकी जो ९५ प्रतिशत इनकी रकम रहती है वह किन सम्पत्तियों में लगी है ? और इस सम्बन्ध में क्या कोई रिपोर्ट समय समय पर सरकार के पास आती है ?

श्री एम० सी० शाह : हमारे पास ९५ प्रतिशत के सम्बन्ध में ब्योरा है । यह एक लम्बा विवरण है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में प्रश्न केवल भू सम्पत्ति के बारे में है ।

श्री एम० सी० शाह : मैंने उस ५ प्रतिशत के बारे में जो कि भू सम्पत्ति के बारे में है, उत्तर दिया है किन्तु वे शेष ९५ प्रतिशत के बारे में जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने कोई और प्रश्न पूछना है ?

सेठ गोविन्द दास : जी नहीं । यही पूछना था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बार नगर पटसन फैक्टरी कम्पनी

*६०३. **श्री नानादास** : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार का ध्यान बार नगर पटसन फैक्टरी कम्पनी के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि लंदन से कम्पनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, सिवाय उस योजना के द्वारा जो कि भारत में साधारण हिस्सेदारों को महंगी पड़ेगी, नहीं किया जा सकता ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषय में कोई पग उठाने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । एक विवरण जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]**

फ्लोगोफाइट अभ्रक

***६०४. श्री वी० पी० नायर : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (क) भारत में १९५०-५१ से १९५२-५३ तक वर्ष वार फ्लोगोफ़ाइट अभ्रक का कुल कितना उत्पादन हुआ है और उक्त वर्षों में इस किस्म का कितना अभ्रक निर्यात किया गया है ?

(ख) किन क्षेत्रों में इस किस्म के अभ्रक की बहुतात है ?

(ग) क्या भारत सरकार ने ट्रावनकोर कोचीन राज्य में इस किस्म के अभ्रक के उत्पादन को विकसित करने के लिये कोई रुपया खर्च किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अभ्रक जांच समिति रिपोर्ट में निश्चित रूप से यह बतलाया गया है कि त्रावनकोर-कोचीन में फ्लोगोफाइट अभ्रक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां श्रीमान । इस समिति के कुछ सदस्यों ने रिपोर्ट में कहा है कि त्रावनकोर-कोचीन के कुछ क्षेत्रों में फ्लोगोफ़ाइट अभ्रक बहुत पाया जाता है किन्तु देश के शेष भागों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस लिये हम यह जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस किस्म के अभ्रक का प्रयोग उद्योगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि त्रावनकोर-कोचीन की खानों में से यह बहुत कम निकाला गया है, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही की है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक त्रावनकोर-कोचीन का सम्बन्ध है, राज्य सरकार फ्लोगोफाइट अभ्रक के निकालने के कार्य की देख भाल कर रही है । हम उस की कार्यवाही को जानते हैं और हम टेकनिकल सलाह भी देते हैं । किन्तु जैसा कि मैंने कहा था अन्य राज्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर : तो फिर मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खनिक कार्य भी एक केन्द्रीय विषय है, क्या भारत सरकार ने इन खानों के उपयोग के लिये कुछ किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम ने उस अभ्रक की अधिक अच्छी खुदाई के सम्बन्ध में टेकनिकल सलाह दी है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने इन खानों के विकास के लिये कोई अनुदान मांगा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे स्मरण है, उस ने वित्तीय सहायता नहीं, कुछ अन्य सहायता मांगी है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरोध

*६०५. **श्री वी० पी० नायर** : गृह-कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत, १९५२ में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय से १ अक्तूबर, १९५३ तक चोर बाजारी और अन्य समाज विरोधी कार्यों के लिये, राज्यवार कितने व्यक्तियों को नज़र बन्द किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यह समझते हुए कि "१९५२ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय" से माननीय सदस्य का अभिप्राय निवारक निरोध (वित्तीय संशोधन) अधिनियम १९५२ के लागू होने की तारीख से यानी ३० सितम्बर, १९५२ से है, मैं सदन पटल पर अपेक्षित सूचना का एक विवरण रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६**]

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत चोर बाजारी करने वाले, छिपा कर माल रखने वाले तथा अनुचित लाभ कमाने वाले लोगों जैसे कितने प्रतिशत समाज विरोधी लोगों को दंड दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कितने प्रतिशत ? —कुल संख्या का ?

श्री वी० पी० नायर : जी हां .... क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम पर बहस होते समय यह कहा गया था कि ...

अध्यक्ष महोदय : आप लम्बी बात न कहें । मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किस चीज के प्रतिशत आंकड़े चाहते हैं—कुल संख्या के ?

श्री वी० पी० नायर : जी हां । जितने लोग नजरबंद हैं उनमें से सरकार की राय में, कितने इस अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : गत वर्ष जैसा मैंने कहा था, मैं सदन पटल पर एक विस्तृत विवरण रखने वाला हूं और मैं आशा करता हूं कि उसमें माननीय सदस्यों को सब तरह की सूचना मिल जायेगी और तब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : विवरण से पता चलता है कि ३०-९-५२ और ३०-९-५३ के बीच चोर बाजार करने, माल छिपा कर रखने और अनुचित लाभ कमाने जैसे समाज विरोधी कार्यों के लिये केवल २८ व्यक्ति ही नजरबन्द किये गये हैं । क्या इस संख्या से यह समझा जाये कि चोर बाजारी और अन्य समाज विरोधी कार्य पूरी तरह से खत्म कर दिये गये हैं ?

डा० काटजू : यह तो तर्क की बात ही है । विरोधी दल के माननीय सदस्यों को मुझ से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि जिन जिन लोगों के खिलाफ़ वे कार्यवाही करवाना चाहें उनके खिलाफ़ मैं कार्यवाही करूं ।

श्री वी० पी० नायर : बहुत से राज्यों में कोई भी नहीं है । क्या हम यह समझें कि...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, तर्क कर रहे हैं । निवारक निरोध अधिनियम पर बहस करने के लिये एक दिन मिल जायेगा ।

हिन्दी (प्रचार)

*६०६. **श्री एस० एन० दास** : शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय हिन्दी संगठन तथा चार क्षेत्रीय बोर्ड नियुक्त किये जा चुके हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उप मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) हिन्दी शिक्षा समिति जनवरी, १९५२ में

कायम हुई। जहां तक क्षेत्रीय बोर्डों का सम्बन्ध है, हिन्दी शिक्षा समिति ने फिर स्वयं ही सिफारिश की है कि इस वक्त उन का बनाना मुनासिब नहीं, इसलिये इनका बनाना मुल्तवी कर दिया गया है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्षेत्रीय बोर्डों का निर्माण किस कारण से नहीं किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : शिक्षा समिति ने पहले तो यह फैसला किया था कि इन क्षेत्रीय बोर्डों को बनाया जाये।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): मैं इस का जवाब दे दूं। गवर्नमेंट के सामने काम का जो नक्शा था उस में यह बात रक्खी गई थी कि रीजनल बोर्ड भी बनाये जायें। लेकिन समिति ने जब इस पर गौर किया तो इस की राय यह हुई कि कोई खास फ़ायदा इनके कायम करने से नहीं होगा क्योंकि हर स्टेट में वहां का आरगनाइजेशन मौजूद है। यह बोर्ड वहां क्या काम करेंगे ? बड़ा काम जो हम शुरू कर रहे हैं वह हिन्दी का प्रचार है। यह काम डायरैक्ट सेंटर से किया जायेगा ; इसके लिये रीजनल बोर्ड की जरूरत नहीं।

श्री एस० एन० दास : कौन कौन से सुझाव समिति ने सरकार के सामने रखे और उन में से किन किन को उस ने स्वीकार किया ?

मौलाना आजाद : बहुत लम्बी फहरिस्त है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को एक सूची दे दी जाय।

श्री के० डी० मालवीय उठे—

अध्यक्ष महोदय : आप इसके पढ़ने में सदन का समय न लें। इसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य को दे दी जाये।

मौलाना आजाद : अच्छी बात है। टबल पर रख दी जायेगी।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि जहां तक उन प्रांतों का सम्बन्ध है कि जहां की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, केन्द्र की यह समिति ही काम करेगी इस काम पर अब तक एक या डेढ़ वर्ष में कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

मौलाना आजाद : यह काम अफ़सोस है कि पिछले साल शुरू नहीं हो सका। हम कमेटियां बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कमेटियों के बनाने से और उन के मशवरे से काम बेहतर तरीके से होगा। लेकिन वाक़या यह है कि काम में एक नई रुकावट पड़ जाती है। साल भर निकल गया और महज इस वजह से कि आपस में इत्फ़ाक़ नहीं हो सका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इस वर्ष हमने कमेटी की तजवीजें छोड़ दीं और मैंने फैसला किया कि मुझे खुद यह काम कर देना चाहियें। इस लिये, दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा को, जो वर्षों से काम कर रही है और जिसको इस तरह के काम का पूरा तजरबा है कहा गया तुम स्कीम बनाओ, हम तुमको फ़ौरन रुपया देते हैं। उनकी स्कीम आ गई। वह मंजूर हो गयी। रुपया दे दिया गया है और काम शुरू हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह।

डा० राम सुभग सिंह : मेरे सवाल का जवाब माननीय मंत्री के इस जवाब से करीब करीब पूरा हो गया।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक दक्षिण भारत प्रचार सभा का संबन्ध है, वह काम काफ़ी अच्छी तरह हो रहा है, यह मुझे भी मालूम हुआ। लेकिन जहां तक राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा, का सम्बन्ध है, जिस का काम दक्षिण भारत के अतिरिक्त दूसरे

सूबों में चलता है, उसको भी क्या कोई सहायता दी जा रही है या दी जाने वाली है ?

मौलाना आज़ाद : बहुत सी सभाओं को जो नान-आफ़िशल हैं, मदद दी जा रही है । मैं अभी यह नहीं बतला सकता कि इस समिति को भी ग्रान्ट दी गयी है या नहीं ।

संग्रहालय

***६०७. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता संग्रहालय की प्रदर्शनार्थ तथा दुलभ वस्तुओं के रखने के लिये एक नई इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि है तो कहां और किस लागत पर ?

(ग) दिल्ली में संग्रहालय के लिये एक अलग इमारत बनाने के बारे में कहां तक प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). जी हां। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के अहाते में दुर्लभ प्राणिकीय नमूने रखने के लिये इक्कीस लाख बत्तीस हजार रुपये की लागत पर एक अग्नि-प्रतिरोधक इमारत बनाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ग) ५ अगस्त, १९५३ को अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ के बारे में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर में निर्दिष्ट विशेषज्ञ समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है । सरकार समिति की रिपोर्ट आ जाने पर मामले में आगे कार्यवाही करेगी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ते के संग्रहालय को इस लिये हटाया जा रहा है कि उस स्थान पर, जहां वह आज कल स्थित है पर्याप्त जगह नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : उसको हटाने का कोई प्रश्न नहीं है । चूंकि उसके लिये कोई उचित अग्नि-प्रतिरोधक इमारत नहीं है, इस लिये इस विषय पर सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने विचार किया था ; उस समिति की यह सिफ़ारिश थी कि २१,३२,००० रुपया खर्च करके एक अग्नि-प्रतिरोधक इमारत बनाई जानी चाहिये । इस सुझाव पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

संसद् में खाली स्थान

***६०९. श्री मुनिस्वामी** : (क) **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चुनाव अधिकरण के फैसलों के परिणाम स्वरूप लोक-सभा के कितने स्थान खाली हो गये हैं ?

(ख) उनमें से कितने स्थान स्वयं सदस्यों के त्याग पत्र दे देने से खाली हुए हैं ?

(ग) कितने सदस्यों ने अपीलीय अधिकारियों से लेख द्वारा अपील की है तथा कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) ६ ।

(ख) ७ ।

(ग) २, इनमें से एक अभी तक विचाराधीन है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान् कितने मामलों में उम्मीदवारों को चुनाव व्यय के गलत रूप से प्रस्तुत करने के कारण अनर्ह घोषित किया गया है ?

श्री बिस्वास : मैं तत्काल तो नहीं बता सकता । यदि माननीय सदस्य प्रश्न की सूचना दें तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में चुनाव अधिकरणों के फैसलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था ?

श्री बिस्वास : जैसा कि सूचना दिये गये एक प्रश्न के उत्तर से पता लगेगा दो मामलों में दो लेख प्राप्त हुए हैं। एक को तो रद्द कर दिया गया था तथा एक अभी विचाराधीन है।

श्री पुन्नूस : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने सदस्यों ने भारत से बाहर अन्य नियुक्तियों के कारण तथा कितने सदस्यों ने कारण बताये बिना त्याग पत्र दिये हैं ?

श्री बिस्वास : मैं केवल उन सदस्यों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने त्याग पत्र दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह निश्चित रूप से यह जानना चाहते हैं कि कितने व्यक्तियों ने भारत से बाहर नियुक्त होने के कारण त्याग पत्र दिया है ।

श्री बिस्वास : मुझे श्री श्री प्रकाश तथा लेफ्टीनेंट जनरल हिम्मत सिंह जी के नाम मिले हैं। मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं कि क्या उन्होंने कहीं अन्यत्र नियुक्त होने के कारण त्याग पत्र दिया है ।

चुनाव याचिकायें

*६१०. **श्री दाभी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक चुनाओं सम्बन्धी कुल कितनी याचिकाओं को दाखिल किया गया है ;

(ख) उन याचिकाओं की संख्या क्या है जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ ; तथा

(ग) इन याचिकाओं के निबटाने में विलम्ब का यदि कोई कारण है तो वह क्या है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) :

(क) ३६० } २९ नवम्बर, १९५३
(ख) ५० } तक ।

(ग) ऐसे कुछ मामलों में विम्लब का कारण यह है कि सम्बन्धित पक्ष सम्बद्ध उच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से रोक आदेश ले लेते हैं तथा दूसरे मामलों में अधिकरण को बहुत से गवाहों से जिरह आदि करनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त इनमें वाद-पद भी जटिल होते हैं ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि इन विचाराधीन याचिकाओं के सम्बन्ध में कब तक फैसला किया जायेगा ?

श्री बिस्वास : यह बात अधिकरण के हाथ में है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में पृथक पृथक आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री बिस्वास : मेरे पास एक लम्बा विवरण है जिसमें राज्यवार स्थिति दी गई है। यदि इच्छा हो तो मैं किसी दिन सदन पटल पर प्रतिलिपि रख दूंगा जिस दिन मुझे ऐसा करने की अनुमति दी जाय ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं जान सकता हूं कि अधिकरणों के फैसलों को प्रकाशित करने में इतनी देर क्यों की जा रही है, जिससे गम्भीर भ्रष्टाचार के पता लगने पर भी कई व्यक्ति कई कई सप्ताह तक मंत्री बने रहते हैं ?

श्री बिस्वास : मैं समझता हूं किसी मामले में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ । उदाहरणार्थ, कल ही मुझ से एक चुनाव के बारे में शिकायत की गई थी जिसे उड़ीसा अधिकरण ने रद्द कर दिया था । पूछताछ करने पर मुझे पता लगा कि यहां पर जो ८० फुल्सकेप पृष्ठों की रिपोर्ट प्राप्त हुई

थी, उसे अगले दिन चुनाव आयोग के कार्यालय ने प्रेस को भेज दिया था तथा सम्भवतः इसे दो तीन दिनों में प्रकाशित कर दिया जायेगा। ये बातें इस प्रकार से की जाती हैं तथा जब तक मेरे ध्यान में किसी विशेष मामले को न लाया जाय, मैं समझता हूं कि फैसलों के प्रकाशन में कोई असामान्य विलम्ब नहीं होता ।

श्री गोडिलिंगन गौड़ : क्या यह सत्य है कि कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने एक उम्मीदवार की सहायता के लिये एक जाली दस्तावेज़ तैयार किया था ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पति की घोषणा

*६११. **श्री दाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अब योजना आयोग की इस सिफारिश के पूरे परिणामों की जांच कर ली है कि सरकारी कर्मचारियों से प्रत्येक वर्ष स्वयं या अपने निकट के सम्बन्धियों द्वारा पूर्व वर्ष में ख़रीद की गई चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने की मांग की जाय ;

(ख) क्या सरकार ने योजना आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये हैं; तथा

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों से प्रत्येक वर्ष न केवल अपने द्वारा बल्कि निकट के सम्बन्धियों द्वारा पूर्व वर्ष में अर्जित की गई अचल संपति सम्बन्धी विवरण दाखिल करने की मांग की जाती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इन मामलों पर अभी विचार हो रहा है । इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में फैसला होने वाला है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि फैसला होने में लगभग कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : लगभग तीन या चार महीनों की आवश्यकता है ।

श्रीमती ए० काले : क्योंकि इस समय सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है, क्या सरकार व्यापारियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा सरकारी सदस्यों से भी ऐसी घोषणाएं करवाने की वाञ्छनीयता पर विचार करेगी ?

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सवाल नहीं उठता ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य नहीं है कि माननीय मंत्री ने उस दिन दूसरे सदन में यह उत्तर दिया था कि सरकार ने इस बारे में योजना आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सदन की कार्यवाही के प्रति निर्देश करना नियमानुसार नहीं है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि रेलवे में पदाधिकारियों की सम्पत्ति की घोषणा सम्बन्धी पुराने नियम हैं तथा मैं जान सकता हूं कि क्या उनका अनुसरण हो रहा है ?

श्री दातार : सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली तथा आई० सी० एस० नियमावली के अन्तर्गत ऐसे नियम हैं । सम्भव सीमा तक उनका अनुसरण हो रहा है ।

अधिकारियों का सदाचरण

*६१२. **श्री दाभी :** क्या गृह-कार्य मंत्री १३ अगस्त, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४५२ का निर्देश करके बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मामलों में व्यक्तियों को ईमानदारी के अभाव के कारण नियुक्त नहीं किया गया तथा कितने मामलों में इस कारण अधिकारियों की पदोवृद्धि नहीं की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : प्रश्न बहुत विस्तृत प्रकार का है, क्योंकि इस में न तो कोई निश्चित काल बतलाया गया है, न ही इसमें सरकारी कर्मचारियों की किसी निश्चित श्रेणी का उल्लेख है । इस सूचना के एकत्र करने में सम्भव परिणामों की अपेक्षा बहुत अधिक समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होगी ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि योजना आयोग ने यह सिफारिश की है ?

श्री दातार : यह सिफारिश अवश्य की गई है, परन्तु यह प्रश्न बहुत विस्तृत प्रकार का है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक और निश्चित प्रकार के प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

पैप्सू के पिछड़े वर्ग

*६१३. **श्री अजित सिंह :** राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पैप्सू सरकार ने अभी तक पैप्सू की कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग घोषित किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : : ४४ को ।

श्री अजित सिंह : मैं जान सकता हूं कि अनुसूचित जातियों की तुलना में पिछड़े वर्गों को किस प्रकार के पृथक विशेषाधिकार दिए गए हैं ?

डा० काटजू : पिछड़े वर्गों को दी गई सुविधाओं में सरकारी नौकरियों में रक्षण छात्रवृतियों का देना, पीने के पानी की सुविधाएं, खेती के लिए नज़ूल भूमि का देना आदि शामिल हैं ।

श्री अजित सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को सिखों में पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का कोई अभ्यावेदन किया गया है ? यदि ऐसा है तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

डा० काटजू : इस प्रयोजन से प्राप्त हुए किसी अभ्यावेदन का मुझे स्मरण नहीं है । परन्तु माननीय मित्र को विदित है कि समाचारपत्रों में काफ़ी 'अभ्यावेदन' किया गया है ।

श्री अजित सिंह : क्या यह सत्य है कि लोवाना तथा मोहतम सिखों को भी पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है ?

डा० काटजू : मुझे इस के लिए पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी : क्या कुछ जातियों तथा समुदायों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूची का अनुसरण करती है अथवा कि केन्द्र प्रत्यक्ष रूप से इस मामले पर विचार करता है ?

डा० काटजू : यह विषय मुख्यत: राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, पिछड़े-वर्ग आयोग द्वारा इस सारे मामले की जांच की जा रही है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि पैप्सू की इन ४४ जातियों को पिछड़े वर्गों में शामिल करने की पिछड़े-वर्ग आयोग ने सिफारिश की है ?

डा० काटजू : जी नहीं ।

राडर स्कूल

*६१४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभाजन के पश्चात् कितने राडर स्कूल स्थापित किये गये हैं तथा कहां ;

(ख) राडर प्रशिक्षा के लिये कितने पदाधिकारियों को विदेश भजा गया था;

(ग) उनमें से कितने लौट आये हैं और अपने कार्यालयों का भार संभाल चुके हैं; तथा

(घ) उनकी सुशिक्षा का व्यय किसने उठाया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सेना अथवा वायुसेना के लिये कोई राडर स्कूल नहीं खोला गया है। समुद्री सेना का एक स्कूल है। सेना तथा वायुसेना में राडर प्रशिक्षा दो प्रशिक्षा केन्द्रों में दी जाती है।

(ख) तथा (ग). मुझे खेद है कि मैं यह सूचना देने में असमर्थ हूं क्योंकि ऐसा करना सुरक्षा के विपक्ष में होगा।

(घ) भारत सरकार व्यय भार उठाती है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि विभाजन के पूर्व हमारे कोई राडर स्कूल थे ? यदि हां तो उनकी संख्या क्या थी ?

श्री त्यागी : विभाजन के पूर्व बम्बई में हमारा एक छोटा सा राडर स्कूल था। दूसरा बड़ा स्कूल कराची में था। परन्तु एक बम्बई में था जो अब कोचीन भेज दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : राडर स्कूल में आजकल कौन शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं ?

श्री त्यागी : वे अनुभवी तथा शिक्षित टेकनिकल व्यक्ति हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या वे सब भारतीय हैं ?

श्री त्यागी : उनमें अधिक भारतीय हैं परन्तु मैं उनकी ठीक संख्या नहीं जानता हूं। यदि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं तो मैं सूचना एकत्रित करूंगा।

उसमानिया विश्वविद्यालय

*६१५. **श्री विट्ठल राव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विशेषज्ञ समिति ने जो भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा उसमानिया विश्वविद्यालय के लिये जाने के सम्बन्ध में स्थापित की थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं।

(ख) समिति के सभापति, आचार्य नरेन्द्र देव ने त्यागपत्र दे दिया है और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति विचाराधीन है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार यह है कि प्रतिवेदन, निश्चित समय में पूर्ण हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अभी सभापति की नियुक्ति होनी है।

श्री पुन्नूस : सभापति का त्यागपत्र कब दिया गया था ?

डा० काटजू : अक्टूबर १९५३ में।

टेकनिकल सहयोग योजन के अन्तर्गत प्रशिक्षा

*६१६. **श्री माधव रेड्डी : वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वे विभिन्न केन्द्र कौन कौन से हैं जहां विदेशी

विद्यार्थियों को कोलम्बू योजना की टेकनिकल सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षा दी जा रही है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : कोलम्बू योजना की टेकनिकल सहयोग योजना के अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थियों को प्रशिक्षा देने के लिये कोई केन्द्र स्थापित अथवा विशेष रूप से उन्हें प्रशिक्षा देने के लिये निश्चित नहीं किये गये हैं । प्रशिक्षा की व्यवस्था उन विभिन्न विश्वविद्यालयों, कालिजों टेकनिकल संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों, तथा निजी संस्थाओं में की जाती है जहां आवश्यक प्रशिक्षा की सुविधायें प्राप्त हैं ।

श्री माधव रेड्डी : उन विदेशी प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है जो आज कल प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : २०७ ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत को प्रशिक्षा केन्द्रों, जैसे व्यापार, पालीटेकनिक्स, आदि, के लिये कोई सज्जा प्राप्त हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : यह प्रश्न भारत में प्रशिक्षा सुविधाओं की ओर निर्देश करता है । जहां तक सज्जा का संबंध है, वास्तव में हमें कुछ सज्जा प्राप्त हुई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को नैपाल के प्रशिक्षार्थियों से, जो लुधियाना इन्जिनियरिंग कालिज में प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां कोई भी योग्य शिक्षक नहीं है तथा उन्हें यथोचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है ?

श्री बी० आर० भगत : हमें यह विदित नहीं है ।

टिटेनियम

*६१७. **श्री माधव रेड्डी** : **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि टिटेनियम नामक धातु भारत में विपुल मात्रा में मिलती है परन्तु इसकी खोज नहीं की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : टिटेनियम अमिश्रित रूप में नहीं मिलती है । यह खनिज पदार्थों में मिलती है जैसे इलमेनाइट तथा रोटायल, टिटानीफेरस मैगनीटाइट तथा लेटेराइट्स जिनमें टिटेनियम की मात्रा अधिक हो । ट्रावनकोर-कोचीन, बम्बई, मद्रास, तथा उड़ीसा के तट के रेत में मितव्ययतापूर्वक कार्य करने की समुचित मात्रा में इलमेनाइट तथा रोटायल नामक पदार्थ पाये जाते हैं ।

श्री माधव रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस उपयोगी धातु से लाभ उठाने के लिये किसी परियोजना पर विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है कि कुछ अमरीकी व्यक्तियों से हमारे देश में टिटेनियम के उत्पादन के प्रकास के संबंध में हाल में वार्ता हुई थी ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं बता चुका हूं कि देश में टिटेनियम उत्पन्न करने की दृष्टि से खनिजपदार्थों से लाभ उठाने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या अब इस देश में टिटेनियम की वस्तुओं का आयात होता है तथा कहां से ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, कुछ मात्रा में आयात किया जाता है ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : संयुक्त राज्य अमरीका तथा यू० के० से ।

शस्त्रास्त्र अधिनियम से छूट

६१८. **डा० एम० एम० दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में आजतक के गत तीन वर्षों में आगनेयास्त्र रखने के संबंध में कुल कितने मामलों में भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम की कुछ धाराओं के लागू होने से छूट दी गई है; तथा

(ख) क्या भौतिक विशेषाधिकार, जो विदेशी दूतों को भारत में प्राप्त हैं, उन्हें भारत से अनुमति प्राप्त किये बिना आगनेयास्त्र रखने का अधिकार देते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) चौबीस ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

डा० एम० एम० दास : शस्त्रास्त्र अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने में सरकार किन किन विशेष कारणों पर विचार करती है ?

श्री दातार : ये छूट अधिकतर उन विदेशी गौरवशाली व्यक्तियों को दी जाती है जो भारत से गुज़र जाते हैं तथा एक या दो ऐसों को भी जो यहां रहते हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय राजे महाराजों को, उनके प्रवेश की लिखत के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने से छूट दी जाती है तथा किस सीमा तक ?

श्री दातार : प्रत्यक्षतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । मुझे शंका है, उन्हें छूट नहीं दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री के पास सूचना है तो वह बता सकते हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रश्नास्पद वर्षों में केन्द्र तथा राज्य के उन सदस्यों से, जिन्हें पहिले ऐसी छूट मिली हुई थीं, ये छूट क्यों छीन ली गई हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० काटजू : श्रीमान् क्या मैं अन्तर्बाधा करके यह निवेदन कर सकता हूं कि मेरे माननीय मित्र, उप-मंत्री, को राज्य मन्त्रालय में कार्यों का पूर्ण ज्ञान नहीं है ? मेरे विचार में जहां तक भारतीय रियासतों के राजों आदि का संबंध है, जब रियासतों को मिलाया गया था तब, उन्हें संविधान तथा तत्संबंधी पत्रों के अधीन शस्त्रास्त्र अधिनियम से छूट दी गई थी । स्थिति यह थी ।

कुछ माननीय सदस्य : हमारे संबंध में क्या है ?

श्री सैय्यद अहमद : संसत्सदस्यों से छूट क्यों वापस ले ली गई ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न करने तथा संसद् का कार्य करने का यह ढंग नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : उन कूटनीतिज्ञों के अतिरिक्त, जो इस देश से होकर जाते हैं अथवा यहां रहते हैं, भारतीय नागरिकों के किन वर्गों को छूट दी जाती है ?

डा० काटजू : भारतीय नागरिकों को ?

डा० एम० एम० दास : मैं देखता हूं कि भारतीय राजाओं के संबंधियोंको इस अधिनियम के लागू होने से छूट दी जाती है।

डा० काटजू : क्या कृपया आप एक एक विशेष प्रश्न रखेंगे ? मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वे वर्ग चाहते हैं । उदाहरण के लिये, संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्य, उच्च न्यायाल के न्यायाधीश, आदि ।

डा० काटजू : मैं तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता हूं । मैं माननीय सदस्य का ध्यान शस्त्रास्त्र अधिनियम की ओर आकर्षित करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री सारंगधर दास

श्री सारंगधर दास : प्रश्न राजाओं के संबंधियों के बारे में पूछा गया है ।

नौजवान तथा मजदूर सेवा शिविर

*६१९. **श्री नानादास** : क्या शिक्षा मंत्री ४ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२० के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौजवान शिविरों तथा मजदूर सेवा शिविरों पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) यह कैसे व्यय हुआ ; तथा

(ग) यह किस संगठन द्वारा व्यय हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ४५,२८९ रु० १० आने ।

(ख) यह धन रेल के किराये, प्रशिक्षार्थियों तथा भाषणकर्ताओं के भोजन तथा शिविर के अन्य अतिरिक्त व्ययों पर व्यय किया गया ।

(ग) (१) शिक्षा मन्त्रालय, (२) एक राज्य सरकार तथा (३) एक निजी एजेंसी द्वारा व्यय किया गया ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि यह रकम राज्य सरकार द्वारा व्यय की जायगी अथवा सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

श्री के० डी० मालवीय : रकम एक ही राज्य सरकार--पश्चिमी बंगाल--को इस शर्त पर दी गई है कि वे भी इतनी रकम खर्च करेंगे ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जानना चाहता हूं कि सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा से इन कैम्पों के कार्य का कहां तक एकीकरण हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह विचार किया गया है कि सामुदायिक योजना कार्यक्रम के कार्य के साथ इसका एकीकरण किये जाने के पूर्व परीक्षण तथा तैयारी का समय बीत जाना चाहिये ।

श्रीमती ए० काले : मैं जानना चाहती हूं कि क्या लड़कियों के लिये भी इस तरह के कोई कैम्प हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान । इस योजना में लड़कियों से संबंधित कार्य भी सम्मिलित हैं ।

श्री पुन्नूस : मैं जानना चाहता हूं कि.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । उत्तर समाप्त होने के पहले ही माननीय सदस्य को अपनी बात आरम्भ नहीं करनी चाहिये ।

श्री के० डी० मालवीय : लड़कियों के कैम्पों सम्बंधी कार्य भी योजना में सम्मिलित हैं ।

श्री पुन्नूस : मैं इन कैम्पों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जानना चाहता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास संख्या नहीं है ।

नौसेना कर्मचारियों की चिकित्सा रक्षा

*६२०. **श्री नानादास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक जलपोत में उस पर नियुक्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने और उनको सम्भरित किये जाने वाले भोजन की जांच तथा प्रमाणित करने के लिए कोई विशेषज्ञ चिकित्सक है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) प्रत्येक जलपोत पर भले ही वह नौनिवेश (डाकयार्ड) में हो अथवा महासागर पर—नौसैनिक कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिये उचित चिकित्सा सहायता की व्यवस्था है । एक सौ से अधिक कर्मचारी वाले अकेले पोत पर भी चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था है किन्तु डिस्ट्रायर्स के स्क्वाड्रनों के लिए जलपोत-समूह में एक या अधिक चिकित्सा पदाधिकारी रहते हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने जलपोतों में विशेषज्ञ चिकित्सक हैं ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय सूचना नहीं है ।

श्री नाना दास : क्या यह सच है कि मांस तथा अन्य नाशी वस्तुएँ बहुत अधिक समय तक रखी रहती हैं और उनके सम्बंध में यह प्रमाणित करने के लिये कोई नहीं है कि वह वस्तु मानवी उपभोग के लिये उचित है ?

श्री त्यागी : खाद्य तथा खाद्य वस्तुओं की जांच के लिये नियमों के अधीन सभी खाद्य पदार्थों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिये चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं । यदि इसमें कहीं कोई छूट रह गई है तो जांच के लिये मुझे इस सम्बंध में सूचना प्राप्त करने में प्रसन्नता होगी ।

श्री नानादास : क्या यह सच नहीं है कि हण्टर श्रेणी के डिस्ट्रायर्स और फ्रिगेट्स में जलपोत पर कोई चिकित्सक नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, नहीं, वहां चिकित्सक हैं ।

श्री त्यागी : मेरे माननीय मित्र उत्तर देने के अभिलाषी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न माननीय मंत्री से सम्बोधित किया गया है ।

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान् ।

श्री जोकोम आल्वा : क्या यह सच है कि हमारे नौभट अपने राशन के परिमाण से संतुष्ट हैं किन्तु उस के गुण प्रकार की वे तीव्र शिकायत करते हैं ?

श्री त्यागी : माननीय मित्र से मुझे यह आशा नहीं थी । वह पोत-भ्रमण में भाग ले चुके हैं और उन्होंने बहुत से पोत देखे हैं । मुझे विश्वास है कि नौभट अपने भोजन के गुणप्रकार से संतुष्ट हैं ।

सैनिक अभियान्त्रि की सेवा भवन

*६२१. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक अभियान्त्रिकी सेवा (मिलिटरी इण्जीनियरिंग सर्विस) द्वारा असाधारण मरम्मत के परिणाम स्वरूप इमारतों के किराये की दृष्टि से मूल्य बढ़ जाने से वर्ष १९५२–५३ में 'किराया' शीर्षक के अन्तर्गत राजस्व की कितनी वृद्धि हुई है ?

(ख) उक्त कारण के फलस्वरूप १९५३–५४ में प्रत्याशित वृद्धि कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख): उन इमारतों के सम्बंध में जिनकी असाधारण मरम्मत की गई थी, १ जुलाई १९५३ से निर्धारित किराये में

२० प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये २९ जून, १९५३ को सरकारी आदेश दिये गये थे ।

वर्तमान समय में प्रयुक्त नियमों के अनुसार नवीन वेतन संहिता के सेवा पदाधिकारी किराये के रूप में अपने वेतन का पांच प्रतिशत अथवा आवास गृह का निर्धारित किराया—इनमें से जो भी कम हो—निवास की स्थायी अथवा अस्थायी किस्म से अनपेक्ष, देने के उत्तरदायी हैं । चूंकि वेतन का पांच प्रतिशत भाग निर्धारित किराये से कम है, नवीन वेतन संहिता से प्रशासित पदाधिकारियों के सम्बंध में 'किराया' शीर्षक के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि होने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ।

नवीन वेतन संहिता से प्रशासित पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकरियों के अस्थायी निवास के सम्बंध में आवश्यक सूचना तत्क्षण उपलब्ध नहीं है, जो उचित समय पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री टी० एन० सिंह : मरम्मत का मूल्य और वृद्धि जैसी कि उसकी गणना की गई है असैनिक पक्ष में मरम्मत और वृद्धि से किस भांति तुलनीय है ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि असैनिक दिशा से परामर्श करना होगा ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं यह जानना चाहता हूं कि हाल के वर्षों में मिलिटरी इन्जीनीयरिंग सर्विस के लगभग सब कार्य, जिनमें मरम्मत और सफेदी भी सम्मिलित हैं ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे हैं जिससे मध्यजनों का लाभ भी देना पड़ जाता है और खर्चा बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप किराये में वृद्धि हो जाती है ।

सरदार मजीठिया : प्रश्न केवल अस्थायी निवास से ही सम्बंधित था । हम यह देखने के लिये आवश्यक सतर्कता से काम लेते हैं कि कार्य यथासंभव सस्ती दर पर किया जाए ।

युद्धास्त्र डिपो

*६२२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** (क) क्या **रक्षा** मंत्री देश के विविध युद्धास्त्र डिपों के पुर्नसंगठन कार्यक्रम की उन्नति व्यक्त करने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या इस कार्यक्रम के निर्धारित तिथि तक पूर्ण होने की आशा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो, आगरा के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों में जहां भी यह योजना आरम्भ की गई थी वहां पूरी हो गई है ।

(ख) हां, केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो, आगरा के अतिरिक्त सभी स्थानों में यह आशा है । आगरा में योजना की पूर्ति इस कार्य के लिये कतिपय विशिष्ट सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर है । आगरा में इस योजना के जून, १९५४ तक पूरी होने की आशा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि क्या इस पुनर्संगठन कार्यक्रम से सभी प्रकार की छंटनी का रोका जाना सम्भव है ?

श्री सतीश चन्द्र : केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो आगरा का पुनर्संगंठन अभी पूरा नहीं हुआ है । इस काम के पूर्ण हो जाने पर कुछ और व्यक्तियों की छंटनी की जायगी । जहां तक अन्य डिपों का सम्बन्ध है अधिक निकासी अथवा अतिरिक्त भाण्डार, उत्सर्जन और तदनन्तर कार्य भार की कमी से कभी कभी छंटनी अनिवार्य हो जाती है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्य पूरा न होने पर भी आगरा के कर्मचारियों में कमी करने के क्या कारण हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : कुछ काम करना शेष है किन्तु अधिकांश पूरा हो चुका है ।

श्री यू० सी० पटनायक: श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन भाण्डारों की इस दृष्टि से परीक्षा की जा चुकी है कि क्या डिपो में कार्य भार बढ़ाने के लिये दूसरे विभागों द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं भली प्रकार प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या दूसरे सरकारी विभागों द्वारा अतिरिक्त भाण्डारों की उपयोगिता की जांच की गई है ।

श्री सतीश चन्द्र : जब भी इन भाण्डारों में हमारी आवश्यकता से अतिरिक्त सामान रहता है तब राज्य सरकारों और दूसरे मंत्रालयों को इसकी सूचना दी जाती है । उन्हें इसकी आवश्यकता न होने की स्थिति में ही इन्हें जनता में बेचा जाता है । किन्तु मैं नहीं समझता कि इससे कार्यभार किस तरह प्रभावित होता है ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं यह जानना चाहता था कि भाण्डारों को अतिरिक्त घोषित करने के पूर्व, अधिसूचना देते समय क्या इस डिपों के भाण्डारों के उपयोग के विषय में यह विभाग अन्य विभागों से परामर्श करने का प्रयत्न करता है ?

अध्यक्ष महोदय : अतिरिक्त घोषित करने के लिये ?

श्री यू० सी० पटनायक : हां, श्रीमान् । उत्सर्जन विभागों में जहां वे ऐसा करते हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जब कोई वस्तु रक्षा मंत्रालय की आवश्यकता से अतिरिक्त होती है तब हम बाजार में उनकी बिक्री नहीं करते हैं—यह होता है कि हम दूसरे मंत्रालयों और अन्य राज्य सरकारों से सम्पर्क साधते हैं । उत्पादन क्षमता को नियोजित करने के सम्बन्ध में हम दूसरे मंत्रालयों और दूसरे विभागों से अपने आदेश यहां भेजने के लिये कह कर उक्त क्षमता को बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

सामाजिक कल्याण बोर्ड

*६२३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता के लिये जिन ऐच्छिक संगठनों को स्वीकृत किया जायेगा उन पर सामाजिक कल्याण बोर्ड के नियंत्रण का स्वरूप क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : यह विषय बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड रहेंगे अथवा केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा ही सम्पूर्ण नियंत्रण होगा । क्या कुछ निर्णय किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड स्वायत्त संस्था है और उसकी बैठक हो चुकी है किन्तु इसने विभिन्न सामाजिक संगठनों को स्वीकृति अथवा सहायता प्रदान करने के आधार पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया है ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : लेकिन एक कमेटी इस लिये बिठाई हुई है और वह इस पर गौर कर रही है कि काम की देख भाल किस तरह की जाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पिछली बार ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था और हमसे कहा गया था कि विषय पर विचार किया जा रहा है । उसके बाद बोर्ड की एक बैठक और हो चुकी है किन्तु इस विषय में अभी कुछ निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री के० डी० मालवीय : उन्होंने कुछ आंकड़े संग्रह किये हैं और उन्होंने देश के विभिन्न संगठनों का व्यापक परिमाप किया है और हाल ही में उनकी बैठक हुई है किन्तु अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सहायता देने के लिये कुछ संस्थाओं को पहले से ही चुन लिया गया है अथवा नहीं ?

मौलाना आज़ाद : एक सब कमेटी इस लिये बनाई गई थी कि वह यह देखे कि जिन-जिन ऐजेन्सियों ने दर्ख्वास्त दी है वे कैसी हैं उनको मदद दी जा सकती है या नहीं इस बारे में इसने फैसले किये है लेकिन यह बात कि कन्ट्रोल किस तरीके से हो या किस तरीके से किया जायगा अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं यह मान लूं कि इतनी सारी संस्थाओं को जो रकम दी गई है वह उन संस्थाओं की पात्रता देखे बगैर और बिना किसी शर्त और नियंत्रण के ही दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एसी बात नहीं है ।

सामाजिक कल्याण बोर्ड

*६२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा महिलाओं और बालकों के लिये कितनी योजनायं बनाई गई हैं ?

(ख) क्या रूप रेखा की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). बोर्ड ने कोई योजना नहीं बनाई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि कोई योजना बनाई ही नहीं गई तो कुछ संस्थाओं को अनुदान देने के लिए कैसे चुन लिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीया सदस्या का ध्यान सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी की गई पुस्तिका की ओर दिलाता हूं जिस की कण्डिका ८ से १४ तक में सहायक अनुदानों के सिद्धान्तों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । परन्तु जहां तक स्त्रियों और बच्चों के कल्याण की विशेष योजनाओं का सम्बन्ध है, मुझे पता चला है कि बोर्ड ने अभी कोई योजना नहीं बनाई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवती : जिन कण्डिकाओं की ओर संकेत किया गया है उन के एक अंश में कहा गया है "प्राथमिकताओं का ढांचा कैसा होगा, यह अभी तय करना है ।" क्या इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : वह इन सभी मामलों पर विचार कर रहा है ।

श्रीमती सुषुमा सेन : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि बाल आश्रम प्रारम्भ करने की नई योजनाओं पर कल्याण संस्था द्वारा विचार किया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो एक सुझाव है जो मैं उसे पहुंचा दूंगा ।

श्री मुनिस्वामी उठे--

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर आता हूं ।

लेखापालों की राष्ट्रीय समिति

*६२५. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लेखापालों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) जी, हां । इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि लेखापाल विज्ञान के विकास तथा इस सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लेखापालों को परस्पर विचार विनिमय की सुविधाएं दी जायं ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : इस समिति के सदस्य कौन कौन है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समिति में भारत सरकार के लेखापालन निदेशक (जो समिति के अध्यक्ष तथा संयोजक हैं) और राज्य सरकारों के लेखापालन के निदेशक और कहीं रक्षक--जहां भी वे हैं--हैं।

श्री बुच्चिकोटैय्या : अब तक इस समिति की बैठक कितनी बार हो चुकी है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस की बैठक एक ही बार हुई है परन्तु उस ने यह नियम बना लिया है कि बैठक वर्ष में दो बार हुआ करेगी ।

श्री एव० एन० मुकर्जी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार इंगलैंड में भारत कार्यालय के पुस्तकालय तथा ऐसे ही और संग्रहालय से वे पुरालेख प्राप्त करने की चेष्टा कर रही है जो हमारे काम के लिए बहुत आवश्यक हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : यह जो बोर्ड बना है उस का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है ।

दावा विभाग, मनीपुर

*६२६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार को दावों के कुल कितने प्रार्थना पत्र मिले और उन में कितने ठीक स्वीकार किए गए ;

(ख) लोगों ने जितनी राशि के दावे किए उसकी तुलना में भारत सरकार ने कितनी राशि मंजूर की ; और

(ग) मनीपुर के आसाम सहायता कार्य वाले क्षेत्रों में लोगों को क्षतिपूर्ति देने में देरी हो जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मनीपुर के आसाम सहायता कार्य वाले क्षेत्रों में कुल मिला कर ८१,४९३ दावों के प्रार्थना पत्र आ ए जिन में से जांच पड़ताल के लिए ६३,९७७ दावे स्वीकार किए गए ।

(ख) इन प्रार्थना पत्रों में लगभग १९ करोड़ रुपये के दावे किए गए । सरकार ने इस क्षेत्र में सहायता के लिये ६० लाख रुपये की रकम स्वीकार की है ।

(ग) सरकार ने जो राशि स्वीकार की है, वह क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं बल्कि लोगों को पुनर्वास के लिए, जहां भी आवश्यक

समझा गया, दी गई है । सामान्यतः जिस देश में युद्ध से हानि हुई हो वहां इतने बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति देना सम्भव नहीं है । जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उस के पास यह एक और कारण है कि वह युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है । फिर भी भारत सरकार को इस क्षेत्र के लोगों से सहानुभूति थी और है और वह उन्हें यथासम्भव सहायता देना चाहती थी । इसी कारण इस क्षेत्र में सहायता तथा पुनर्वास के लिए ६० लाख रुपये का असाधारण तथा विशेष अनुदान दिया गया ।

क्षतिपूर्ति की राशि देने में देर होने का कारण यह था कि मामले बहुत से थे और क्षेत्र में संचरण के साधनों का अभाव है । वर्षाकाल में जांच का काम विशेषकर कठिन होता है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जांच कब समाप्त हो जायगी और शोधन प्रारम्भ हो जायगा ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने कहा, इस क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं और आना जाना बहुत कठिन है । बहुत से दावे किए गए हैं । उन सब की जांच की जानी है । यह बड़ा उलझा हुआ मामला है और इस में कुछ समय लगेगा ।

श्री रिशांग किशिंग : इस बात को देखते हुए कि भारत सरकार ने सहायता के लिए ६० लाख रुपये की जो राशि दी है, वह लोगों द्वारा दावों में मांगी गई राशि से बहुत कम है, क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने कहा, यह तो सहायता मात्र है । क्षतिपूर्ति तो नहीं दी गई और सरकार के पास जो संसाधन हैं, उन्हीं से वह आवश्यकता अनुसार सहायता देने का यथासम्भव प्रयत्न कर रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि युद्ध के फौरन बाद इम्फाल में मकानों के मालिकों को क्षतिपूर्ति या सहायता दी गई जो गावों में अभी तक नहीं दी गई ?

सरदार मजीठिया : मुझे मालूम नहीं । माननीय सदस्य पूर्वसूचना दें तो मैं इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करूंगा ।

पैप्सू में परामर्शदाता

*६२७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि पेप्सू में राष्ट्रपति के शासन अधीन (१) परामर्शदाता और (२) अतिरिक्त परामर्शदाता को कुल कितना (वेतन तथा अन्य पारिश्रमिक, अलग अलग) रुपया मिलता है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (१) परामर्शदाता

वेतन	४,०००	रुपया प्रति मास
	अन्य पारिश्रमिक कुछ नहीं	
कुल	४,०००	रुपया प्रति मास

(२) संयुक्त परामर्शदाता

वेतन	३,२५०	रुपये प्रति
	अन्य पारिश्रमिक कुछ नहीं	
कुल	३,२५०	रुपये प्रति मास

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्हें वाहनों आदि पर खर्च करने का कोई विशेष अधिकार है ?

डा० काटजू : मैं प्रश्न को सुन नहीं सका ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्हें मोटर गाड़ियां रखने पर खर्च करने का कोई विशेष अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : उन के लिये कोई विशेष भत्ता ?

डा० काटजू : परामर्शदाता राज्य की मोटर गाड़ी का निःशुल्क प्रयोग कर सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : और संयुक्त परामर्शदाता ?

डा० काटजू : उस के सम्बन्ध में भी वही बात है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को कुछ मालूम है कि परामर्शदाता या संयुक्त परामर्शदाता इन मोटर गाड़ियों पर कितना खर्च करता रहा है ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं । इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री पुम्मूस : क्या परामर्शदाता को मुफ्त मकान दिया गया है ?

डा० काटजू : परामर्शदाता को एक बिना किराए का मकान दिया गया है जिस में मामूली फर्नीचर है ।

खेड़िया का हवाई अड्डा

*६२८. **सेठ अचल सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खेड़िया के हवाई अड्डे में कितने एकड़ सरकारी भूमि ऐसी पड़ी है जिस पर कोई मकान आदि नहीं बना है ?

(ख) उस भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों आदि को बेच कर प्रति वर्ष कितना रुपया मिलता है और पिछले पांच वर्षों में सरकार के खाते में इस में से कितना रुपया डाला गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) लगभग १,००० एकड़ ।

(ख) इस राशि में से धन, राष्ट्रपति सेवा संस्था कोष में डाला गया है और राशियों के सम्बन्ध में ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है । यह जानकारी सदन पटल पर रख दी जायगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पिछले पांच वर्षों से लगातार इस जमीन में खेती कराई जाती है और उस से करीब २५ हजार रुपये की इनकम हो रही है ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस २५,००० रुपयें का पता नहीं है । इस भूमि से ७,००० रुपये से लेकर १२,००० रुपये तक की आय होती रही है । जैसा कि मैंने कहा है यह राशि राष्ट्रपति सेवा संस्था कोष में डाली जा रही है जो उस टुकड़ी के उड़ाकों के कल्याण के लिए खर्च होती है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ? मंत्री महोदय ने बतलाया कि १ हजार रुपया आता है, मैंने कहा कि वहां २५ हजार रुपया साल आता है, क्या इस की जांच कराने की मंत्री महोदय कृपा करेंगे ?

सरदार मजीठिया : जांच कराने का तो प्रश्न ही नहीं है । मेरे पास निश्चित सूचना है कि जो रुपया मिला है वह राष्ट्रपति सेवा संस्था कोष में डाला जाता है । परन्तु चूंकि माननीय सदस्य इस मंत्रालय के साथ लिखा पढ़ी करते रहे हैं मैं सदन को तथा माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई अनियमितता का दोषी पाया गया तो निश्चय ही दण्ड दिया जायगा ।

सेन्ट्रल आर्डीनेन्स डिपो तथा कमान वर्कशाप

*६२९. **सेठ अचल सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सेन्ट्रल आर्डीनेंस डिपो तथा ५०९ कमान वर्कशाप इ० एम० इ० पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त सैनिक संस्थापन में पिछले पांच वर्षों में हुई चोरी के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ?

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की चोरियों को भविष्य में रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) आगरा के सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो तथा ५०९ सैनिक वर्कशाप पर सरकार प्रति वर्ष लगभग ८४,७५,००० रुपया खर्च करती है ।

(ख) आगरा के सेंट्रल आर्डीनेंस डिपो में हुई चोरी की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है, किन्तु कमान वर्कशाप की किसी घटना के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) सभी मामलों की उचित रूप से जांच की गई है, और आवश्यकतानुसार उचित दंड दिया गया है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में इन सी० ओ० डी० और वर्कशाप का मुआयना किया गया या नहीं ? क्या मंत्री महोदय ने इनका मुआयना किया था ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं पिछले जुलाई में आगरा गया था, और मैंने सी० ओ० डी० और कमांड वर्कशाप दोनों को देखा था ।

श्री यू० सी० पटनायक: क्या यह तथ्य है कि पिछले दो वर्षों में इन संस्थाओं के सुरक्षा कर्मचारियों में कोई कमी की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इसका कोई ज्ञान नही है ; मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

मनीपुर में विदेशी धर्म प्रचारक संगठन

***६३१. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम तथा मनीपुर में विदेशी धर्मप्रचारक संगठनों के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या आसाम तथा मनीपुर के किन्हीं ईसाई संगठनों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि :

(१) इन राज्यों में विदेशी धर्म प्रचारक संगठनों को अपना कार्य जारी रखने की आज्ञा दी जाय ।

(२) जब पुराने परिवार अनियमित छट्टी पर जायें तो उनके स्थान पर नये धर्म-प्रचारक परिवारों को इन राज्य में आने की अनुमति दी जाय ; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रार्थना का क्या उत्तर दिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार की नीति यह है कि भारतवर्ष में आज कल कार्य करने वाले विदेशी धर्म-प्रचारक संगठनों के आन्तिरिक कार्य में जब तक कि वे शांतिपूर्वक एवं अनआपत्तिजनक कार्य करते हैं कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ।

(ख) नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आसाम तथा मनीपुर राज्यों से कितने धर्म प्रचारकों को निकाला गया है तथा भारत-वर्ष में वापिस आने के लिये कितने प्रार्थनापत्रों को भारत सरकार ने अस्वीकार किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इन विस्तृत बातों के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां रहने वाले धर्मप्रचारकों को तथा उनको जो कि पहिली बार यहां आये हैं राजनीति से अलग रहने के बारे में सरकार से कोई अनुदेश प्राप्त होते हैं ?

डा० काटजू : वे इसे अच्छी तरह जानते हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या मनीपुर के स्थानीय ईसाइयों की ओर से श्री जे० एस० ऐन्डरसन के अनुज्ञा के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; यदि हां, तो सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डा० काटजू : मुझे याद नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार का अभ्यावेदन था ।

श्री रिशांग किशिंग : श्री जे० एस० ऐन्डरसन के अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में अभ्यावेदन ।

डा० काटजू : मुझे किसी की भी याद नहीं है किन्तु मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा । क्या माननीय सदस्य इसके बारे में मुझ से बातचीत करेंगे ?

श्री रिशांग किशिंग : : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ठीक तीन चार दिन पूर्व मैं ने एक अभ्यावेदन जो मुझे मनीपुर के स्थानीय ईसाइयों ने भेजा था, माननीय मंत्री जी को दिया था ।

डा० काटजू : आपने. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ! माननीय मंत्री उत्तर देते समय अध्यक्ष को सम्बोधन करें :

डा० काटजू : मैं क्षमा चाहता हूं । तीन चार दिन पूर्व माननीय सदस्य मेरे पास आये और एक अभ्यावेदन मुझे दिया, जिसे मैंने तुरन्त ही मंत्रालय भेज दिया । यह प्रश्न माननीय सदस्य ने कोई पन्द्रह दिन पूर्व प्रस्तुत किया था और श्री एन्डरसन का उसमें कोई निर्देश नहीं था । किन्तु आज मेरे मित्र ने इस प्रश्न को श्री एन्डरसन से प्रारम्भ किया है, और परमात्मा जाने, और कौन कौन व्यक्ति ?

मनीपुर के स्कूल

*६३२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर में पूर्ण रूपेण सरकारी स्कूल तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार की कोई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी हां ।

श्री रिशांग किशिंग : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि सरकारी हाई स्कूलों के मनीपुर तथा गैर मनीपुर शिक्षकों के वेतन क्रय में बहुत अन्तर है, मैं जान सकता हूं कि क्या इस असमानता तथा भेद को हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है ।

प्रशासनीय कर्मचारी कालेज

*६३३. **डा० अमीन** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने इंगलेंड सरीखा एक प्रशासनीय कर्मचारी कालेज यहां बनाने के लिये उस सम्बन्धी योजना तैयार करने के हेतु किसी समिति की नियुक्ति की है ?

(ख) यदि हां तो इस के विचारणीय विषय क्या हैं ?

(ग) इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ? एंव उनकी योग्यता क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). वांछित जानकारी द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ४७]**

डा० अमीन : यह समिति कब बनी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् १९५० में प्रस्तुत किया।

चौर्यानयन

*६३५ { **श्री बीरबल सिंह** : **श्री रघुनाथ सिंह** : **श्री सी० आर० इय्युनी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत छः महीनों में घड़ियों के अवैध आयात के पता लगाये गये मामलों की संख्या ;

(ख) इस प्रकार पकड़ी गई घड़ियों का मूल्य ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि २२ अक्तूबर, १९५३ को केवल बम्बई नगर में ही ऐसी ५०० घड़ियां जब्त की गईं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). अनुमानित आंकड़े द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(ग) २२ अक्तूबर १९५३ को बम्बई के सीमा शुल्क कार्यालय ने कोई घड़ियां जब्त नहीं की थीं । शहर में ८ स्थानों पर छापे मारने के परिणामस्वरूप यद्यपि २० तथा २१ अक्तूबर को ३१७२ घड़ियां जब्त की गई थी ।

श्री बीरबल सिंह : क्या इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही की गई ?

श्री ए० सी० गुहा : निश्चय ही, आगे कार्यवाही की गई है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ; श्री बी० के० दास, अनुपस्थित। अगला प्रश्न । श्री तुषार चटर्जी ।

चन्द्रनगर में नगरपालिका-चुनाव

अल्प सूचना प्रश्न ३. श्री बी० के० दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चन्द्र नगर में नगर पालिका सम्बन्धी चुनाव करने का आदेश दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी तिथियां निश्चित की गई हैं ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि वहां के सभी राजनैतिक दलों तथा कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने इन चुनावों का बहिष्कार करने का निश्चय किया है ;

(घ) इस के कारण क्या हैं ; तथा

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?*

चन्द्रनगर में नगरपालिका-चुनाव

अल्प सूचना प्रश्न ४. श्री तुषार चटर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कांग्रेस सहित चन्द्रनगर के सारे राजनैतिक दलों ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की है कि यदि चुनाव को तब तक के लिये स्थगित करने, जब तक कि झा आयोग का काम समाप्त नहीं हो जाता, की मांग के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास से २७ नवम्बर, १९५३ तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो जाता है, तो भारत सरकार के आदेश के आधीन दिसम्बर, १९५३ में होने वाले चन्द्रनगर के नगरपालिका चुनाव का चन्द्रनगर के लोग बहिष्कार करेंगे ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस मामले में कुछ करने का विचार करती है ?

*इस प्रश्न का उत्तर अल्प सूचना प्रश्न ४ के साथ दिया गया—सम्पादक, संसदीय प्रकाशन

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). चन्द्रनगर में नगरपालिका के चुनाव को करने का प्रश्न कुछ समय से चल रहा है और जनता उसके लिये मांग कर रही थी। अन्ततोगत्वा प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ परामर्श करने के उपरान्त उन चुनावों को करने का निश्चय किया गया था और चुनावों के लिये २४ दिसम्बर, १९५३ का दिन निश्चित किया गया था।

इन चुनावों से स्वतंत्र, चन्द्रनगर के भविष्य के प्रशासन संबंधी दर्जे के प्रश्न के विषय में जांच करने के हेतु एक आयोग को नियुक्त करने का निश्चय हुआ था। इस सम्बन्ध में जब घोषणा की गई तो चन्द्रनगर के राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं ने इन नगरपालिका के चुनावों को रद करने के लिये कहा। बाद में, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बार बार अपने विचारों में परिवर्तन किये और तथ्य तो यह है कि निश्चित तिथि पर बहुत से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किये गये थे। हमारी नवीनतम सूचना यह है कि उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिये हैं। इस परिस्थिति का अध्ययन किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र सरकार अपना निर्णय दे देगी।

भारत सरकार ने इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया था और उस की समझ में इन नगर पालिका के चुनावों को, जो कि चन्द्रनगर पर आवश्यक रूपभेद के साथ लागू किये गये बंगाल नगरपालिका अधिनियम, १९३२, के अधीन होने जा रहे थे, स्थगित करने के लिये कोई कारण नहीं है। नगर-पालिका की शक्तियां, जो अधिनियम में दी हुई हैं, अस्थायी मानी जायेंगी और अधिक स्थायी प्रबन्ध तब निश्चित किये जायेंगे जब कि जांच आयोग अपना प्रतिवेदन दे देगा। अतः इस बात का भय होने का कोई कारण नहीं है कि इस नगरपालिका को भविष्य में मिलने वाली शक्तियां अन्तिम रूप से इसी अवस्था पर निश्चित कर दी जायंगी। चन्द्रनगर के विभिन्न दलों के नेताओं को इस बात की सूचना दे दी गई है।

श्री तुषार चटर्जी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि दो या तीन दिन पीछे तक भारत सरकार ने निर्वाचित होने वाली नगर पालिका के कार्यों के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कहा गया था कि यह नगरपालिका बंगाल नगर-पालिका अधिनियम के आधीन, निर्वाचित होने जा रही है, जिस में यह कार्य दिये हुए हैं। कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है। यह भी कहा गया था कि इन पर—इन शक्तियों और कार्यों पर—आयोग का प्रतिवेदन मिलने के शीघ्र बाद फिर से विचार किया जायेगा। हमें आशा है कि यह प्रतिवेदन इस मास के अन्त में अथवा बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। फिलहाल, कार्य अधि-नियम में दिये गये हैं।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम की वे धारायें जो चन्द्रनगर पर लागू की गई थीं, इस निकाय के कार्यों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कहती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अधिनियम की केवल कुछ धारायें ही लागू की गई हैं और इन धाराओं में बोर्ड (नगरपालिका) के कार्यों और उसकी शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु सारी चीज तो यह है कि नगरपालिका के

लिये चुनावों की काफी दिनों से मांग की जा रही है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह बहुत आसानी से उनको स्थगित कर सकती थी अथवा चाहती तो उनको न करती । किन्तु चूंकि मांग की गई थी अतः उसके लिये वह तैयार हो गई थी । यह बात न होती तो नए दर्जे के निश्चित हो जाने तक हम रुक गये होते । जिन व्यक्तियों न इन चुनावों की मांग की थी, उन्हीं लोगों ने अपने विचार बदल दिये हैं । चन्द्रनगर के विभिन्न दलों के नेताओं के बदलते हुए विचारों के साथ साथ चलना सरकार के लिये बहुत कठिन काम रहा है । यह एक असाधारण बात है कि वे आये दिन अपने विचार बदलते रहते हैं । अतः इस का परिणाम यह हुआ कि इन चुनावों को सामान्य रूप से उक्त अधिनियम के आधीन करना था और कार्यों की अग्रेतर परिभाषा अथवा विस्तार के सम्पूर्ण प्रश्न को प्रतिवेदन के मिलते ही निश्चित करना था । आशा है कि प्रतिवेदन हमें शीघ्र ही मिल जायेगा ।

श्री के० के० बसु : प्रधान मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि उक्त अधिनियम में कुछ अनुकूलन एंव परिवर्तन किये गये थे । जहां तक बंगाल के उसी प्रकार के अन्य नगरों की तुलना में चन्द्रनगर का सम्बन्ध है, उस नगरपालिका अधिनियम में क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । विधि मंत्रालय इसका उत्तर देगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह तथ्य है कि केवल नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव बंगाल नगरपालिका अधिनियम के आधीन किया जा रहा है, जब कि उस नगरपालिका की शक्तियां अभी तक नहीं बताई गई हैं ?

श्री जवाहरलाल नहरू : यह वही प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह हो चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि चन्द्रनगर के प्रशासक ने सब राजनैतिक दलों को सूचित कर दिया है कि ये चुनाव अस्थायी हैं और झा आयोग का प्रतिवेदन मिलने के बाद उसका दर्जा तय किया जायेगा ? यदि ऐसा है, तो १४ नवम्बर को प्रधान मंत्री को संयुक्त रूप से भेजे गये तार में सब दलों ने क्या कारण बताया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास उस तार की प्रतिलिपि नहीं है । परन्तु जैसाकि मैं ने कहा, उन्होंने जो कारण सामने रखे हैं उन्हें समझना मेरे लिये कठिन है । उन के तर्क दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि चुनावों की घोषणा के दिन से लेकर चन्द्रनगर के लोगों की बराबर यह मांग थी कि भारत सरकार कम से कम यह तो घोषित करदे कि निर्वाचित होने वाले निकाय के जिम्मे क्या क्या काम रहेंगे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि बार बार अभिवेदन देने पर भी, भारत सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है क्योंकि उत्तर यह था कि फिलहाल वह उस अधिनियम के आधीन काम करेगा, किन्तु सच तो यह है कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम इस सम्बन्ध मे विचार करके सारी चीज पूर्ण रूप से घोषित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला कार्यक्रम आरम्भ करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (विशेषज्ञ-मिशन)

*६०८. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **वित्त** मंत्री ८ अप्रेल १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२१८ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने जो विशेषज्ञ-मिशन भेजा था, क्या उसका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सदन पटल पर उसकी एक प्रतिलिपि रखेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन छप रहा है और उसको आगामी फरवरी के आरम्भ में प्रकाशित करने का विचार है । तब संसद् पुस्तकालय में उस की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जायेंगी ।

बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलीनीकरण

*६३०. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलीन करने का निश्चय कर लिया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसा निश्चय किन कारणों से किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां, किन्तु भाखरा बांध परियोजना का हित सर्वोपरि है, और विस्तृत विवरणों की अभी भी ध्यानपूर्वक जांच की जा रही है ।

(ख) वह निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि वे दोनों राज्य भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, कि बिलासपुर के तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच सांसकृतिक एवं सामाजिक आत्मीयता है और यह कि बिलासपुर को, जो कि अलग से भाग 'ग' राज्य के रूप में केवल एक तहसील के आकार की है, उसकी वर्तमान अवस्था में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं था ।

सहायक प्रादेशिक सेना

*६३४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक प्रादेशिक सेना योजना के आधीन कितने 'ग्रामीण शिविर' खोले गये हैं और कहां कहां पर ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अभी तक दो शिविर हो चुके हैं, अर्थात् पटना और नसीराबाद में तथा दोनों ग्रामीण शिविर थे ।

त्रिपुरा में जूमियों का पुनर्वास

*६३६. **श्री दशरथ देव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या त्रिपुरा की सरकार ने इस वर्ष एक ऐसी प्रचारपुस्तिका निकाली थी जिसमें आदिम जाति के जूम-कृषकों को यह सूचित किया गया था कि उन्हें सरकारी भूमि पर पुनः बसाया जायेगा और उसी दर से ऋण दिये जायेंगे जिस दर से कि विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये प्रायः दिये जाते हैं ;

(ख) उस आश्वासन के अनुसार अब तक कितने जूम-कृषक परिवारों को पुनः बसाया जा चुका है ; और

(ग) त्रिपुरा में जूमियों के पुनर्वास को शीघ्रता से करने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिक

*६३७. **श्री दशरथ देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें त्रिपुरा में सरकारी नौकरी में नहीं खपाया जा सका ;

(ख) क्या त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त ने १९५१ में सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ वचन दिये थे ; और

(ग) क्या त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिकों का सरकार के पास विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुछ धन है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में भर्ती

*६३८. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में श्रेणी ३ के पदाधिकारियों की भर्ती कैसे की जाती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में श्रेणी ३ के पदों की भर्ती आंशिक रूप से सेवा योजनालयों से सीधी भर्ती द्वारा और आंशिक रूप से निम्न श्रेणी के उपयुक्त विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करके की जाती है।

अनसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के विद्यार्थी

*६३९. **श्री संगण्णा** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मंजूर छात्रवृत्तियों के प्रेषण के विषय में विलम्ब का ज्ञान है ?

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). क्योंकि १५ अगस्त तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे अतः लगभग ९,७०० विद्यार्थियों का चुनाव सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक नहीं किया जा सका। अक्तूबर में छात्रवृत्तियां मिलने की घोषणा की गई और छात्रवृत्तियों की राशि निश्चित की गई थी। प्रथम अर्ध-वार्षिक किस्त का भुगतान नवम्बर से आरम्भ हुआ और दिसम्बर १९५३ के मध्य तक पूरा हो जायेगा। इस प्रकार छात्रवृतियां देनें में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

सचिवालय में अर्हताप्राप्त सहायक

*६४०. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **गह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सहायक श्रेणी परीक्षा की द्वितीय परीक्षा में जिन्होंने ४० प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे उन्हे अर्हता प्राप्त घोषित कर दिया गया है और उनके साथ प्रथम परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों के समान व्यवहार किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन की उनके समान ही, जिन्होंने कि प्रथम परीक्षा में ४० प्रति शत अंक प्राप्त किये थे और द्वितीय परीक्षा में ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे, पदोन्नति कर दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दतार) : (क) सभी प्रयोजनों के लिये उन के साथ द्वितीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों

के समान व्यवहार किया जाता है और उनकी योग्यता के क्रम से उनके स्थान के अनुसार उन की स्थिति उनके समान ही है जिन्हें कि उसी परीक्षा में पहिले ही अर्हताप्राप्त घोषित किया जा चुका है ।

(ख) सहायकों के स्थायी और नियमित रूप से अस्थायी पदों पर नियुक्तियां प्रत्येक परीक्षा के लिये जितनी रिक्तियां दी गई हों उन पर प्रत्येक परीक्षा के योग्यता क्रम से की जाती हैं । जब उम्मीदवारों को अर्हता-प्राप्त घोषित कर दिया जाता है तो प्राप्त अंको का इस से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । दोनों परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

सैनिक फार्म

*६४१. **श्री के० सी० सोधिया** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने सैनिक फार्म हैं और प्रत्येक में कितने दुधारू पशु हैं ?

(ख) प्रत्येक से प्रति मास कितनी मात्रा में गव्योत्पाद प्राप्त होते हैं ?

(ग) सशस्त्र सेनाओं की कितने प्रति-शत आवश्यकता इन से पूरी होती है ?

(घ) इन्हें चलाने पर कुल कितना व्यय आता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सैनिक फार्म २५ । शाखा सैनिक फार्म ४ ।

२५ सैनिक फार्मों में से दो में और ४ शाखा सैनिक फार्मों में से एक में दुधारू पशु नहीं रहते हैं । शेष मुख्य तथा शाखा सैनिक फार्मों में सितम्बर, १९५३ में कितने दुधारू पशु थे उनकी संख्या सदन पटल पर रखे गये विवरण के स्तम्भ ३ में दी हुई है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ख) जिन मुख्य तथा शाखा सैनिक फार्मों में दुधारू पशु हैं उनके गव्योत्पादों की मात्रा उपरोक्त भाग (क) में उल्लि-खित विवरण के स्तम्भ ४ से ८ तक में दी हुई है । ये आंकड़े सितम्बर, १९५३ के सम्बन्ध में हैं ।

(ग) सितम्बर, १९५३ में ७५ प्रति शत ।

(घ) १९५२-५३ में २,०२,११,००० रुपये और १९५३-५४ में २,०१,३९,००० रुपये की राशि प्रतिरक्षा सेवाओं के चालू व्यय के प्राक्कलनों में से दी गई थी ।

राधाकृष्णन् आयोग

*६४२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के प्रश्न के सम्बन्ध में राधा-कृष्णन् आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार का अपनी सम्मति विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञा-निक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) इन सिफारिशों पर पहले ही विचार किया जा चुका है ।

(ख) सरकार के विचार सभी राज्य सरकारों को पहिले ही भेजे जा चुके हैं ।

अनुसूचित जाति छात्रवृत्तियां

*६४३. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री सन् १९५३-५४ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दी गई प्रत्येक कोटि की छात्रवृत्तियों का वार्षिक मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

पुनर्वास वित्त प्रशासन (ऋण)

२९४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुनर्वास वित्त प्रशासन ने सभी ऋण बिल्कुल प्रार्थनापत्रों के प्राथमिकता के आधार पर ही दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने ऋण लेने वालों को प्रार्थना पत्र की प्राथमिकता न होने पर भी ऋण दिया गया ; और

(ग) क्या यह सत्य है कि ऐसे मामलों में जिनमें परामर्शदातृ परिषद् के सदस्यों ने प्रार्थना पत्रों की सिफारिश की उनके प्रार्थनापत्रों की तिथि के अनुसार प्राथमिकता न होने पर भी उन्हें ऋण दे दिये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) सामान्यतया प्रार्थनापत्रों पर उनके पंजीकरण की तिथि के क्रम से विचार किया जाता है । परन्तु इस के साथ ही अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उदाहरण के लिये क्या प्रार्थी को अनुज्ञप्तियां या अनुमति पत्र मिल गये हैं जो कि अन्यथा रद्द कर दिये गये होते या दूकान इत्यादि मिल गई हैं जो बेकार पड़ी होतीं ।

फरवरी १९५२ में सूची को पुन: खोलने के पश्चात् क्योंकि एक साथ बहुत से प्रार्थना पत्र आ गये थे, अत: यह निश्चय किया गया था कि इन प्रार्थना पत्रों को निबटाने में प्राथमिकता के लिये निम्नलिखित क्रम रखा जाये :

(१) नई बस्तियों के लिये औद्योगिक ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्र ।

(२) अन्य औद्योगिक ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्र ।

(३) नई बस्तियों के लिये व्यापारिक ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्र ।

(४) अन्य प्रार्थनापत्र ।

(ख) इस प्रकार के मामलों की ठीक ठीक संख्या तो तुरन्त उपलब्ध नहीं हो सकी किन्तु प्रशासन ने जुलाई १९४९ से पहिले के मामलों के सम्बन्ध में ऐसे मामलों की संख्या मोटे रूप में अनुमान लगा कर ४५० के लगभग बताई है ।

(ग) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली जिस में केवल परामर्श-दात्री परिषद् की सिफारिश के कारण ही प्राथमिकता दी गई हो ।

त्रिपुरा में बकाया लगान

२९५. **श्री दशरथ देव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा में गत 'पुनियाह' को जो लोग सरकारी लगान न दे सके उनकी कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्तमान गंभीर आर्थिक संकट इस असफलता के कारणों में से एक है; तथा

(ग) सरकार किसानों के लगान के बकाया के भार को कम करने के लिए क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और जब प्राप्त हो जाएगी सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय सिपाहियों का डूबना

२९६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री कृपया १८ नवम्बर १९५३ को पूछे गये

तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि :

(क) वे भारतीय सेना के किस यूनिट के थे;

(ख) उनके नाम, पद और घर के पते क्या थे ;

(ग) क्या उनके वंचित परिवारों के लिए किसी निवृत्ति-वेतन अथवा अन्य वित्तीय सहायताओं की स्वीकृति दी गई है; तथा

(घ) यदि हैं, तो उनका विवरण क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तृतीय गढ़वाल राईफल्स ।

(ख)

नाम	पद	घर का पता
(१) सनेह सिंह चौहान	लेंस नायक	गांव वोडारी, पट्टी सरजूला, डाकखाना टेहरी, ज़िला टेहरी गढ़वाल ।
(२) कल्याण सिंह रावत	राईफलमैन	गांव हिन्दाओ (होडियुनखोली), पट्टी हिंदाओं, डाकखाना टेहरी, जिला टेहरी गढ़वाल ।
(३) कुन्दन सिंह रावत	,,	गांव धरगांव, पट्टी घुड़दौड़सियों, डाकखाना चोपरियों, ज़िला गढ़वाल ।

(ग) जी हां ।

(घ) विवरण निम्नलिखित हैं :

मृत सिपाही का नाम	अस्थायी पारिवारिक निवृत्ति वेतन	एडजूटेंट जैनरल की कल्याण निधि में से अनुदान	वेतन का बकाया इत्यादि
(१) सनेह सिंह चौहान	२४/- रुपये प्रति मास	२५०/- रुपये	५६६/३/- रुपये
(२) कल्याण सिंह रावत	२०/- रुपये प्रति मास	२५०/- रुपये	२७०/११/- रुपये
(३) कुन्दन सिंह रावत	२०/- रुपये प्रति मास	२५०/- रुपये	१९४/१५/- रुपये

त्रिपुरा में पाठशालाएं

२९७. श्री दशरथ देव : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में कितनी प्राथमिक पाठशालाओं को सरकार पूरी वित्तीय सहायता देती है और वहां कितनी गैर सरकारी पाठशालाएं हैं ?

(ख) वहां एल० वी० और एम० ई० स्कूल कितने हैं और उन में सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूल कितने हैं ?

(ग) त्रिपुरा में १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में शिक्षा पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(घ) इन राशियों में से कितनी कितनी (१) प्राथमिक पाठशालाओं तथा एल० वी० स्कूलों, (२) एम० ई० स्कूलों, (३) एच० ई० स्कूलों, तथा (४) कालिजों पर व्यय की गई ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पाठशालाओं की संख्या – ३११ । गैर सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या १४५ ।

(ख) एल० वी० स्कूलों की संख्या—

(१) सरकारी १५०

(२) ग़ैर-सरकारी ३०

एम० ई० स्कूलों की संख्या–.

(१) सरकारी २४

(२) ग़ैर-सरकारी २५

(ग)

(१) १९५०-५१..८,४८,९१७ रुपये

(२) १९५१-५२..१०,१५,६२३ रुपये

(३) १९५२-५३..१८,९९,८१४ रुपये

(घ) निम्नलिखित पर व्यय की गई राशियां :

	१९५०–५१ रुपये	१९५१–५२ रुपये	१९५२–५३ रुपये
प्राथमिक पाठशालाएं	१,७४,४५७	१,५५,८९०	३,४१,५२८
एल० वी० स्कूल	१,२८,२९०	२,०४ १७३	४,०३,३८७
मिडल स्कूल	८२,४७९	१ ३१,८५३	२,१६,२९८
हाई स्कूल	२,६३,४०७	२,७८,५०६	३ १९,३१९
कालिज	१,३१,३२५	१,३७,१०४	४,४३,१६८

व्यक्तिगत अनुसंधान कर्त्ताओं को सहायक अनुदान

२९८. **श्री एस० एन० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और अन्य मूल अनुसंधान में लगे हुए अनुसंधान कर्ताओं की ओर से, विज्ञान के विषयों में व्यक्तिगत अनुसंधान कर्त्ताओं को सहायता देने के लिए राज्यानुसार अब तक कितने प्रार्थना-पत्र आए हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि अलग रख दी गई है ।

(ग) कितने मामलों में सहायक अनुदान (विषय अनुसार) दिया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

सिखों पर लेख

२९९. **श्री अजित सिंह :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैप्सू सरकार ने एक पुस्तक जिसका नाम "तीसरा धर्म, सिखों पर एक लेख" है, और जिसे रूप लाल कपूर

ने लिखा है तथा बोटलिया एण्ड कं०, प्रकाशक मद्रास ने प्रकाशित किया है, ज़ब्त कर लिया है; तथा

(ख) क्या सरकार ने पुस्तक के लेखक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

मंत्रियों के विदेशी दौरे

३००. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ से अपने सरकारी कार्य के सम्बन्ध में मंत्रियों द्वारा किये गये विदेशी दौरों पर सरकार द्वारा कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है, साथ ही प्रत्येक द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यय की गई धन राशि भी बताई जाए; तथा

(ख) इन दौरों के उद्देश्य ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). उपलब्ध जानकारी बताने वाला एक विवरण सदन पटल रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

मंत्रियों को समाचार पत्रों की प्रदाय

३०१. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मंत्रियों द्वारा उन के निवास-स्थानों पर जितने भी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें ली जाती हैं उन सब के मूल्यों के भुगतान राजकोष से किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सन् १९५२ से मंत्रियों द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या तथा उन के लिए दी गई कुल राशि; तथा

(ग) मंत्रियों को दौरों के समय जो दैनिक समाचार-पत्र प्राप्त होते हैं क्या उन का मूल्य भी राज कोष से दिया जाता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) ४५६ दैनिक समाचार-पत्र और पत्रिकायें दी गई जिनका मूल्य २६,५३५ रुपये है ।

(ग) जी हां, जहां मंत्रियों को उन की आवश्यकता होती है ।

कोयले के क्षेत्र

३०२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कोयले के क्षेत्रों के क्या नाम हैं जो योजना आयोग ने निर्दिष्ट किए हैं जिसका विस्तृत नकशा बनाने का और अनुसंधान का कार्य अब समाप्त हो गया है ?

(ख) इस प्रकार कितना क्षेत्र समाप्त हो गया है ?

(ग) बाकी कितने क्षेत्र के नकशे बनाने शेष हैं ?

(घ) क्या यह कार्य योजना काल में समाप्त होने की आशा है ?

(ङ) क्या किये गये कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) कारणपुरा कोयले का क्षेत्र ।

(ख) लगभग ७८० वर्ग मील ।

(ग) लगभग ४९७२ वर्ग मील ।

(घ) कतिपय सुविधाओं के न होने के कारण इस समय यह नहीं बताया जा सकता ।

(ङ) नहीं, श्रीमान् ।

चालू नोट

३०३. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या वित्त मंत्री विभिन्न मूल्यों के उन करैन्सी नोटों की जो क्रमशः अगस्त १९४७ के प्रारम्भ में तथा अगस्त १९५३ के अन्त में भारत में चालू थे, संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन पटल पर रखी जायेगी ।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
४ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, ४ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३८ म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अनुसार निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २०, दिनांक १२ सितम्बर १९५३;

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २२, दिनांक १४ सितम्बर १९५३;

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २३, दिनांक १७ अक्तूबर १९५३;

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २४, दिनांक २४ अक्तूबर १९५३;

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २५, दिनांक ३१ अक्तूबर १९५३;

(६) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २७, दिनांक ३१ अक्तूबर १९५३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एस०—१८९/५३]

सम्पदा शुल्क (नियंत्रित समवाय) नियम

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा २० की उपधारा २ के अन्तर्गत, सम्पदा शुल्क (नियंत्रित समवाय) नियम, १९५३ की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१९०/५३]

सदन का कार्य

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये समय-सीमा

अध्यक्ष महोदय : इस से पूर्व कि सदन विधायनी कार्य आरम्भ करे, मैं सदन का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं जिस के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने मेरे पास ज़बानी तथा लिखित रूप में शिकायत की है । यह गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर वाद-विवाद से सम्बन्ध रखती है । शिकायत की गई है कि पिछले सत्र से एक संकल्प

[अध्यक्ष महोदय]

विशेष पर चर्चा हो रही है जिस के परिणाम-स्वरूप शेष सब संकल्प रुके पड़े हैं । वैसे तो इस सम्बन्ध में फैसला देना सदन का काम है, परन्तु मैं समझता हूं कि प्रत्यक्षतः यह शिकायत उचित सी प्रतीत होती है । ग़र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सम्बन्ध में तो संसद् सदस्यों की एक समिति मौजूद है । मुझ से यह अभ्यावेदन किया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प भी उस समिति के कार्यक्षेत्र में शामिल होने चाहियें । यह मानते हुए कि भिन्न प्रकार के संकल्पों पर चर्चा करने के लिए कम या अधिक समय की, जैसी भी दशा हो, आवश्यकता होती है, मैं यह समझता हूं कि चर्चा की कोई न कोई सीमा अवश्य निश्चित होनी चाहिये ताकि अन्य सदस्यों के सकल्पों को भी सदन के समक्ष पेश किया जा सके ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह समापन का प्रस्ताव इसलिये पेश करना नहीं चाहती है कि कहीं इस से यह ग़लत फहमी न हो जाये कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी पूरी चर्चा नहीं चाहती । मुझे पता लगा है कि योजना मंत्री आज वाद विवाद के दौरान में बोलेंगे और उस के बाद सरकार चर्चा जारी रखे जाने या बन्द किये जाने के विषय में सदन तथा अध्यक्ष के निर्णय पर पूरी तौर अमल करने को तैयार होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को यह सूचना दे दूं कि जिन सदस्यों ने मुझ से शिकायत की है उन में से बहुत से बहुसंख्यक दल के हैं ।

टेलीग्राफ तार अवैध कब्जा संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन इस प्रस्ताव पर कि "टेलीग्राफ़ तार (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम, १९५० को संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" आगे विचार करेगा । श्री एन० बी० चौधरी का भाषण जारी था ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : पहले, मूल अधिनियम के अन्तर्गत, यह उपबन्ध था कि सरकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के पास पाया गया तार डाक तथा तार विभाग की सम्पत्ति है । परन्तु अब नये संशोधक विधेयक के अनसार सरकार का यह दायित्व खत्म किया जा रहा है । हो सकता है कि सरकार के इस दायित्व के खत्म होने से निर्दोष लोग भी कानून की गिरफ्त में आ जायें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

यह पता चला है कि पुलिस उन कर्मचारियों या अन्य लोगों को सहयोग नहीं देती जो अपराधियों का पता लगाना चाहते हैं । अतः यदि इस विधान को स्वीकार करना ही है, तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाये ।

विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम ट्रंक लाइनों में तो अल्मूनियम के तार प्रयोग किये ही जा सकते हैं । अतः सरकार को इस प्रकार के तारों का देश में ही निर्माण करने की प्रस्थापना पर विचार करना चाहिये । यदि किसी कारणवश बाहर से तार न आ सके तो इस आवश्यक सेवा का संचालन ही दुष्कर हो जायेगा । इसलिये यह आवश्यक है कि टेलीग्राफ का तार बनाने का कारखाना देश में स्थापित किया जाये ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव (खम्मम) : जब टेलीग्राफ़ तारों की चोरी होती है तो पुलिस पहला काम यह करती है कि लाइन-

मैन और सुपरवाइज़र को तंग करती है। विभाग उन्हें कोई संरक्षण नहीं देता। मुझे बस यही कहना है कि विभाग उन्हें समुचित संरक्षण दे ताकि पुलिस लाइनमन व इंजीनियरिंग सुपरवाइज़रों को नाहक तंग व परेशान न कर सके।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : सरकार यह उपबन्ध करना चाहती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास टेलीग्राफ़ के तार पाये जायें और वह व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित न कर सके तो उसे अपराधी समझा जायेगा। यह एक बड़ी अजीब सी बात है। केवल किसी व्यक्ति के पास तार पाया जाना ही इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं समझा जाना चाहिये कि वह व्यक्ति अपराधी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। धारा ५ में शब्द हैं : "टेलीग्राफ तार के अवैध कब्ज़े के लिये दंड"। परन्तु नीचे कब्ज़े के लिये दण्ड का उपबन्ध है। "वैध रूप से कब्ज़े में होने" का क्या अर्थ है ? मान लीजिये मैं किसी वस्तु की कीमत दे कर उसे लेता हूं। तो क्या यह अवैध कब्ज़ा कहलायेगा ? इसलिये आप को यह शब्द निकाल देने चाहियें "यदि वह यह साबित नहीं कर देता कि टेलीग्राफ़ के तार उस के कब्ज़े में वैध रूप से आये थे"। यद्यपि यह विषय सादा सा है, परन्तु इस पर ध्यानपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि एक दो मामलों में सरकार को यह साबित करने में बड़ी कठिनाई हुई कि सम्बन्धित तार डाक तथा-तार विभाग की सम्पत्ति हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा निर्णय किन न्यायालयों द्वारा किया गया—निम्नतम न्यायालयों द्वारा या जिला न्यायालयों द्वारा या उच्च न्यायालयों द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। मान लीजिये किसी मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह फैसला दे दिया हो ; तो क्या केवल इसी आधार पर अधिनियम में संशोधन करना उचित है ? यह भी हो सकता है कि सरकार ही यह सिद्ध न कर सकी हो कि सम्बन्धित तार डाक तथा तार विभाग के हैं। ऐसी दशा में न्यायालय पर दोष लगाना भी ठीक नहीं ह। मेरे खयाल में न्यायालयों द्वारा दिये गये इन विपरीत निर्णयों का इतने अस्पष्ट रूप से निर्देश करना ठीक नहीं है क्योंकि इस से सदन को कोई गलत धारणा हो सकती है। हमें यह जानना चाहिये कि न्यायालयों ने यह निर्णय क्यों दिया—क्या वास्तव में हमारे कानून में कोई कमी थी या अभियोग चलाने वाले लोग ही उसे सिद्ध करने में असमर्थ रहे। अतएव मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जिस के कारण सरकार को यह कठोर संशोधन करना पड़ रहा है।

पंडित के० सी० शर्मा : धारा ४ (क) जोड़ देने तथा धारा ६ का संशोधन करने के परिणाम स्वरूप मैं समझता हूं कि धारा ५ से उल्लिखित शब्द निकाल देना अनावश्यक है। धारा ६ के अन्तर्गत तार कब्ज़े में रखना ही एक अवैध तथा दंडनीय कार्य है।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, मैं उन व्यक्तियों से सहमत नहीं हूं जिन का यह कहना है कि इन मामलों में अपराधी का अपराध सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोगी पक्ष पर डाली जानी चाहिये। हमें मालूम है कि यह तार सरकार की सम्पत्ति है तथा यह और किसी जगह नहीं मिलता है। अब यदि यह किसी के कब्ज़े से बरामद किया जाये तो प्रत्यक्षतः यह इस बात को सिद्ध करता है कि उस ने चोरी कर के यह सरकारी माल अपने कब्ज़े में रखा है सिवाय इस दशा में

[पंडित के० सी० शर्मा]

जब कि वह न्यायालय में अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सकेगा ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अपराध के लिए कड़ा दंड रखा जाना चाहिये । यदि टेलीग्राफ तार से कोई छेड़ता हुआ पकड़ा जाय तो उसे गोली से उड़ा दिया जाना चाहिये ।

श्री शर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : श्री मोरे तथा मेरे दूसरे मित्र ने बताया कि यह संशोधन अनावश्यक है । परन्तु जहां तक वस्तुस्थिति का सम्बन्ध है, हमें मालूम है कि किस तरह एक एक दो दो मील लम्बाई का टेलीग्राफ तार रातों रात उड़ा लिया जाता है तथा किस तरह से सारी संचरण व्यवस्था को अस्तव्यस्त किया जाता है । यह काम तो बदमाशों द्वारा किया जाता है जोकि चोर-बाजारियों के इशारे पर ऐसा करते हैं । तांबे की कीमत बढ़ जाने के कारण वह इसे चोर बाजार में बेचते हैं । हमें इन गतिविधियों को रोकना होगा । मैं अपने वकील मित्रों से निवेदन करूंगा कि वह अपने आदर्शवाद में न रह कर वास्तविकता को देख लें तथा इस शुभकर विधान का समर्थन करें ।

श्री एन०राचय्या (मैसूर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । मुझे मालूम है कि मैसूर में टलीग्राफ तार की चोरी की घटनाएं प्राय: हुआ करती हैं । हाल ही में ७ नवम्बर को एक ऐसी ही घटना हुई जिसमें कि एक बड़ी मात्रा में डाक तथा तार विभाग का टेलीग्राफ तार उड़ा लिया गया था । जब तक कि हम ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करेंगे तब तक न कोई शान्ति तथा व्यवस्था रहेगी और न ही सरकार के प्रति कोई प्रतिष्ठा रहेगी । इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि राष्ट्र-हित में सरकारी सम्पत्ति संरक्षित रखी जाये । नागरिकों के दिलों में यह बात बैठ जानी चाहिये कि सरकारी माल अथवा सम्पत्ति की चोरी एक गम्भीर अपराध है ।

मेरे कुछ मित्रों ने बताया है कि इन मामलों की जांच करते समय पुलिस लोगों को तंग करती है । जब तक कि चोरी की शिकायत न की गई हो तब तक पुलिस को हस्तक्षप करने का कहां अवसर मिलता है । मुझे मालूम है कि पुलिस के अधिकारी गैर कानूनी ढंग से किसी को अनावश्यक रूप से तंग नहीं करती है ।

अभियुक्त पर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने की जो ज़िम्मेदारी डाली गई है, वह बिल्कुल उचित तथा सही है । फिर, जब सरकारी सम्पत्ति की चोरी हुई हो तो स्थान तथा मात्रा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है तथा सरकारी माल की भी आसानी से पहिचान हो सकती है ।

श्री एन० सीमना (कुर्ग) : श्रीमान्, यह एक शुभकर विधेयक है तथा मैं इस का समर्थन करता हूं । टलीग्राफ तार का उचित रूप से वर्णन दिया गया है तथा उसे कब्जे में रखना अवैध घोषित किया गया है; जब तक कि कोई व्यक्ति यह सिद्ध न कर सके कि उस ने वैध रूप से यह अपने पास रखा है । यह एक मानी हुई बात है कि यह एक विशेष विधि है तथा सभी विशेष विधियों में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाली जाती है । इस में एक धारा यह भी रखी गई है कि अमुक अमुक वर्णन का तार अधिकारियों की अनुमति के बिना खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता है । यह न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के किसी भी तरह विरुद्ध नहीं है । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह बात स्पष्ट की गई है कि डाक तथा तार विभाग के लिए यह सिद्ध करना कठिन होगा कि पकड़ा गया तार उन का है । इसी कठिनाई का निवारण

करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तथा इस दृष्टि से यह आवश्यक भी है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला): तांबे का तार एक बहुमूल्य वस्तु है परन्तु उससे भी बहुमूल्य मनुष्यों की स्वतन्त्रता है। इसलिये यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति विशेष को उस की स्वतन्त्रता से तब तक बंचित न किया जाय जब तक कि उस के दोष का प्रमाण न हो। इस सम्बन्ध में दो बातों का पता लगाना आवश्यक है। एक यह कि सम्पत्ति की वास्तव में चोरी हुई है तथा दूसरे अभियुक्त ने जान बूझ कर यह वस्तु ली है। यह दोनों बातें अभियोगी पक्ष द्वारा सिद्ध की जानी चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात नहीं है कि किसी फौजदार मामले में अभियुक्त पर यह जिम्मेदारी डाली जा रही है कि वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करे। केवल इतना कहा गया है कि इस विधेयक के पास होने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना तांबे के तार का क्रय-विक्रय नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति लाइसेन्स के बिना यह प्राप्त करेगा तो यह अवैध कब्ज़े का मामला बन जाता है।

श्री टेक चन्द: मान लीजिये कि कोई व्यक्ति कुछ कबाड़ा खरीदेगा अथवा लोहे का पुराना कांटेदार तार खरीदेगा तथा उस में अचानक कुछ परित्यक्त तांबे का तार भी आ जाता है, तो वह बिना किसी दोष के भी मुसीबत में फंस जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कब्ज़े में रखना हानिकारक नहीं।

श्री राघवाचारी: खंड ५ के संशोधन के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपराधी होगा जिस क पास कि यह तार होगा

उपाध्यक्ष महोदय: बिना लाइसेन्स के।

श्री राघवाचारी: इस में लाइसेन्स का कोई प्रश्न ही नहीं।

श्री टेक चन्द: इस मामले में खरीदार को यह सिद्ध करना होगा कि उस ने आंखें मूंद के वह कबाड़ा खरीदा था तथा वह इस कारण से निर्दोष है। और मान लीजिये कि यह खरीदार यह कबाड़ा किसी और व्यक्ति को बेच देगा तो वह भी मुसीबत में फंस जायगा। तांबे के तार का केवल एक गज़ भी किसी व्यक्ति को दंड दिला सकता है तथा उसे अपनी स्वतंत्रता से वंचित करा सकता है। तो, जहां यह बात महत्वपूर्ण है कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी नहीं होनी चाहिये वहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई निर्दोष व्यक्ति सरकारी कोप का भाजन न बने। यदि सरकार इस बारे में निश्चित विचार रखती है तो उसे कम से कम इस के लिये मात्रा निश्चित करनी चाहिये। परन्तु यदि विधेयक को इस के वर्तमान रूप में पास किया गया तो किसी भी व्यक्ति को, जिस के पास कि केवल आधा सेर तांबे का तार होगा, दंड मिलेगा। सरकार को मामले के इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

और भी एक बात हो सकती है। मान लीजिये कोई व्यक्ति अपने शत्रु के घर में यह तार डाले या डलवाए; अथवा पुलिस किसी व्यक्ति को, जिस से कि वह पैसा वसूल करना चाहती हो, तंग करने के लिए यह तार उस के घर में डलवाए, तो निर्दोष होत हुए भी वह व्यक्ति दंड का भाजन होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाये कि कहीं निर्दोष व्यक्ति मुसीबत में न फंसें। इसलिए अभियोगी पक्ष को किसी व्यक्ति-विशेष का दोष सिद्ध करना चाहिए और फिर उसे उचित दंड मिलना चाहिए।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, इस विधेयक को एक हानि रहित ढंग से पेश किया गया, परन्तु यह एक खतरनाक विधान है ।.....

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, माननीय सदस्य श्री बसु कल एक बार बोल चुके ह ।

श्री के० के० बसु : मैं ने केवल एक प्रश्न पूछा, भाषण नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से हमारा काम समाप्त नहीं हो सकता है । दो तरीके हैं । कुछ लोग भाषण दे कर अपनी राय देते हैं कुछ तो प्रश्न पूछने पर ही संतुष्ट रहते हैं। हैं ।

श्री राज बहादुर : यदि आप उन्हें बोलने का एक और अवसर देने का विचार रखते हैं तो मुझे निस्सन्देह कोई आपत्ति नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहते तो कल ही अपना भाषण दे सकते थे। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हों तो उन्हे माननीय मंत्री के बाद ही वादविवाद में भाग लेना चाहिये । मंत्री के भाषण के दौरान में कोई प्रश्न पूछा जाये तो वह एक अलग बात है ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, आप ने एक से अधिक बार अपना विनिर्णय देते हुए कहा है कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछने हों तो वह अन्त में पूछे जाने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : गलतफहमी का निवारण करने के लिए हमें आगे के लिए एक ही प्रक्रिया पर चलना चाहिये ।

यदि कोई सदस्य बोलना भी चाहता हो तथा प्रश्न भी पूछना चाहता हो तो उसे यह अन्त के लिए रखने चाहियें, अथवा अपने भाषण के दौरान में पूछने चाहियें । और यदि मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हो, तो वह उत्तर दे सकता है । श्री चौधरी कल अपना भाषण जारी रख सकते थे । श्री बसु इस समय भाषण दे सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं दो बातों पर जोर देना चाहता हूं । वर्तमान अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत उपबन्ध हैं जिन में कि उन लोगों को जिन के पास कुछ किस्मों के टेलीग्राफ के तार मौजूद हैं इस बात के लिए कुछ समय दिया गया है कि वे उस की घोषणा कर दें । तारों की मात्रा एक विशिष्ट परिमाण से अधिक होने पर उन्हें गलाने अथवा बेच देने का भी समय दिया गया है । मूल अधिनियम में इन दोनों उपबन्धों के होने के बावजूद भी माननीय मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है जिस का आशय उन्हों ने कुछ न्यायिक निर्णयों को परिहार करना बतलाया है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री के पास इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत से मामले हैं कि कुछ प्रकार के टलीग्राफ तार रखने वाले व्यक्ति पर सामान्यतः विद्यमान विधि के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकता है, तो उन्हों ने उच्चतम न्यायालय में अपील क्यों नहीं की ? यह बात उन्हों ने स्पष्ट नहीं की है । देश में सहस्त्रों न्यायालय हैं । उन में से एक-दो किसी विशिष्ट प्रकार का निर्णय दे सकते हैं, जब कि अन्य मूल अधिनियम में व्यक्त आशय को पूर्णतया स्वीकार कर सकते हैं । इसलिये जब तक कि यह उपबन्ध पूर्णतया स्पष्ट न हो जाये, यह संशोधक विधेयक बड़ा खतरनाक हो सकता है ।

इस समय स्थिति यह है कि यदि किसी के पास यह तार होंगे तो उन पर उस का कब्ज़ा अवैध समझा जायेगा । शब्द "जिन पर न्यायालय को विश्वास करने का कारण है" न्यायालयों की बहुत विस्तृत अधिकार

प्रदान करते हैं। माननीय मंत्री इस उपबन्ध को हटाना चाहते हैं "जिन पर न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वे केन्द्रीय सरकार के डाक व तार विभाग की सम्पत्ति हैं"। इसलिये अब होगा यह है कि जिस के पास एक फुट भी टलोग्राफ तार वैसे ही किसी कारणवश होगा, उस पर अभियोग चला दिया जायेगा।

मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम के उपबन्धों में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति के पास इन किस्मों के टेलीग्राफ तार हैं उन पर मामला चलाया जा सकता है। इसलिये मेरे विचार से, प्रस्तुत विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि कार्यपालिका को इतने वृहत अधिकार दे दिये जायेंगे और न्यायपालिका के प्रति उस का इस प्रकार का रुख रहेगा तो हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। माननीय मंत्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार करें तथा सर्वोत्तम कानूनी परामर्श लें। अन्यथा इस से सामान्य व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

श्री आर० के० चौधरी : जिस तरह से कि बड़ी और छोटी नदी में कोई अन्तर नहीं है—आदमी दोनों में ही डूब जाता है—और बड़े और छोटे सांप में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि आदमी दोनों के ही काटने से मर जाता है, उस तरह मैं समझता हूं कि छोटे और बड़े विधेयक में कोई अन्तर नहीं है। वास्तव में मैं ने तो देखा है कि छोटे विधेयक बड़ों से अधिक खतरनाक होते हैं। इसलिये आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं इस विधेयक के कुछ दोष आप के सामने प्रस्तुत करूं।

इस विधेयक द्वारा आपराधिक न्याय-शास्त्र में एक नवीन विचार समादिष्ट किया जा रहा है और वह यह कि अभियुक्त को यह बात सिद्ध करनी होगी वह अपराधी नहीं है जब कि सामान्यत: अभियोक्ता पक्ष का यह कर्तव्य हुआ करता है कि वह सिद्ध करे कि अभियुक्त अपराधी है। जस्टिस रॉलेट भी वही चीज़ करना चाहते थे जो अब मेरे माननीय मित्र श्री राज बहादुर कर रहे हैं। जस्टिस रॉलेट यही चाहते थे कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध न कर पाये कि वह निरपराध है, तो उसे जेल में ठूस दिया जाये। यह तो उसी तरह से है जैसा किसी ने कहा है कि जब तक आप कानून को भूल नहीं जाते तब तक अच्छे मंत्री नहीं बन सकते हैं मेरा कहने का तात्पर्य यह है। विधेयक का उद्देश्य यह बतलाया गया है कि निर्धारित अधिकारी की अनुमति के बिना टेलीग्राफ के तार खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। सन् १९४६ में इसी सम्बन्ध में एक बात हुई थी। अमरीकी सेना ने टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों को बड़ी मात्रा में बेचा था। जिन लोगों पर बाद में मामला चलाया गया उन्हों ने रसीदें पेश कर दीं तथा मामले वापस ले लिये गये। क्या माननीय मंत्री यह आशा करते हैं कि तब से अब तक ये तार उन्हीं के पास रहे चले आये होंगे? मालूम नहीं कि वे बिक-बिक कर कितने हाथों में पहुंचे होंगे और जिन लोगों ने उन्हें खरीदा होगा उन के लिये यह बताना बहुत कठिन होगा कि ये अमुक समय अमुक परिस्थितियों में खरीदे गये थे। उन पर अभियोग चलाया जायेगा और उन्हें सजा मिलेगी। विधेयक में यह एक दोष है जिस के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पायेगा। आप घिसे पिटे तारों के लिए ऐसा विधान प्रस्तुत कर रहे हैं जो सरकार के लि कोई श्रेय की बात नहीं हो सकती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं ने चन्द तक़रीरें इस बिल के बारे में सुनीं। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आज वह तक़रीरें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

की जा रही हैं जो कि शायद उस वक्त वाजिब होतीं जब कि ओरीजिनल ऐक्ट (मूल अधिनियम) हाउस में पास हुआ था। जिस वक्त कि ओरीजिनल ऐक्ट हाउस में आया था उस वक्त भी इस बिल के ऊपर थोड़ा बहुत ऐतराज़ किया गया था और मैं भी उन अशख़ास में से था जिन्हों ने इस बिल के बारे में ऐतराज किया था। लेकिन आज अगर आप गहरी निगाह से देखें तो वह सब के सब ऐतराज़ात रद्द हो जाते हैं। इस बिल के देखने में और जांचने में बहुत कुछ इमैजिनेशन (कल्पना शक्ति) पर काम हुआ है और आम तौर पर मेरे दोस्त जो क़ानून से बहुत ज्यादा वाकिफ़ हैं उन्हों ने इस बिल की बहुत सी नुक्ताचीनी की है। एक नुकताचीनी से तो मैं हैरान होता हूं कि जब श्री रोहिणी कुमार चौधरी साहब की तरफ देखता हूं कि वह बतलाते हैं कि छोटे सांप और बड़े सांप में कोई तमीज़ नहीं है, वह इस बड़े सांप और छोटे सांप में कोई तमीज़ नहीं बताते। सुना यह था कि A German says : "All Germans are liars" और शायद मैं जहां तक समझता हूं चौधरी साहब उन्हीं मिनिस्टरों में से हैं कि जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं और उन को इस का बहुत तजुर्बा है कि वकील की खूबियों का होना असल में मिनिस्ट्री की खूबियों के कितना मुखालिफ है।

मुझ हैरानी तो यह है कि इतने क़ानूनदां होकर भी स प्रकार क्यों इतनी नुक्ताचीनी करते हैं ? मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान का नाम किस तरह से ख़राब हो जायगा अगर बर्डन आफ़ प्रूफ़ जो हम ने सन् ५० में मलज़िम पर डाला था, वह वहीं का वहीं क़ायम है। आज इस अमेंडिंग बिल के बारे में ऐतराज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बर्डन आफ़ प्रफ ऐक्यूज़्ड (अभियुक्त) पर चला जायगा, तो वह तो पहले से ही मौजूद है, उस में हम कोई तबदीली नहीं कर रहे हैं। इस अमेंडिंग बिल में हम ने दो तबदीली की हैं और आज उस पुराने बिल का जिक्र करना उचित नहीं है। पहली तबदीली यह है कि जहां क़ानून दफ़ा पांच में यह ज़रूरी था कि इस्तग़ासा यह साबित करता कि यह टेलीग्राफ तार पोस्ट आफिस के हैं और उस पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंच कर मुक़दमे का फ़ैसला करती, अब इस अमेंडिंग बिल के मुताबिक़ प्रासीक्यूशन को वह वजूहात पेश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि ओरीजिनल सेक्शन को मुलाहिज़ा फरमायें, तो पायेंगे कि दफ़ा पांच में भी यह ज़रूरी नहीं था कि सरकार की तरफ़ से यह साबित किया जाता कि यह टेलीग्राफ़ तार सरकार का माल है या पोस्ट आफ़िस की प्रापरटी है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सब दाण्डिक़ अपराधों में सबूत देने का भार अभियुक्त पर हो ? या, यदि उन्हों ने कोई भेदभाव किया है, तो इस का क्या कारण है ? यह स्पष्ट किया जाना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे खुशी है कि मेरे लायक दोस्त ने यह सवाल इस तरीक़े से पूछा कि जो फ़िल वाक्या इस बिल में तो उत्पन्न नहीं होता। मैं बीस मिसालें दूंगा जिस से आप को मालूम हो जायगा कि आज भी मुलज़िम के ऊपर भार डाला जाता है। अमरीका और विलायत की मिसाल तो दी गयी, लेकिन चौधरी साहब खुद अपने क़ानून को भूल गये कि दफ़ा ११४ के ही अन्दर दर्ज है कि अगर चोरी का माल किसी के कब्ज़े में पाया जाय, उस का रीसेन्ट पज़ेशन (हाल का क़ब्ज़ा) हो तो उसको अपनी इन्नोसेंस

(बेगुनाही) साबित करनी होती है। इसी तरह अगर किसी के क़ब्ज़े से ऐसे आर्म्स (शस्त्र) पाये जायें जिन का पज़ेशन अनलाफूल (अवैध) हो, तो दफ़ा २० के मुताबिक उस शख़्स को साबित करना होता है कि वह आर्म्स उस के पास किस तरह से आये और इसलिये हमारे कुछ दोस्तों का यह ऐतराज़ करना कि हम क़ानून के बरख़िलाफ़ जा रहे हैं, दुरुस्त नहीं है। हम देश में जो क़ानून रायज है, उसकी ख़िलाफ़वरजी नहीं कर रहे हैं। जहां तक उसूल की बात है, वे ख़ास हालात में लगते हैं। वाक्या यह है कि सारे के सारे तार जितने हैं, यह गवर्नमेंट की प्रापर्टी है। ये सब के सब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किये हैं और इसलिये यह कहना कि यह आमतौर पर मार्केट में बिकते हैं, दुरुस्त नहीं है। मैं ने स्वर्गीय श्री खुर्शीद लाल से जिन्हों ने इस लेजिस्लेशन (विधान) को रखा था, एक सवाल पूछा था कि कितने तार अब तक चोरी गये हैं, तो उन्होंने अपनी स्पीच में उस वक्त बतलाया था और मेरे लायक़ दोस्त उस स्पीच को अगर देखेंगे तो उन को मालूम होगा कि उन्होंने जवाब में बतलाया था कि कई सौ मील लम्बे तार कई स्टेट्स में चोरी हुए। क्या मेरे लायक़ दोस्त यह चाहते हैं कि यह चोरी का माल जो सिवाय सरकार के और किसी का नहीं हो सकता, हम इस क़ानून में ऐसी तबदीली कर दें जिस से कोई मुक़दमा साबित ही न हो सके। हम ने तो सिर्फ़ इतनी तबदीली की है कि अब से प्रासीक्यूशन को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लां शख़्स ने टेली ग्राफ़ तार की चोरी की है और वह सज़ा का मुस्तहक़ है, अब से यह एज़्यूम (मान) कर लिया जायगा कि यह टेलीग्राफ़ वायर सरकार के उस डिपार्टमेंट के हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसा एज़्यूम करने में कोई ग़लती है। यहां पर एक चीज़ गौरतलब है, चूंकि सरकार ने बहुत सा ऐसा माल डिस्पोजल को दे दिया था, इसलिये हर शख़्स यह कह सकता है कि साहब यह जो माल मेरे पास से निकला है, यह मैं ने डिस्पोज़ल से ख़रीदा है। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि सन् ५० में यह ऐक्ट पास हुआ और उस में एक दफ़ा यह थी जिस के मातहत ६ महीने की मुद्दत दी गयी थी। दफ़ा ३ की रू से हर एक शख़्स को यह कहा गया था कि वह ऐसे माल को जो उस के पास हो डिक्लेयर कर दे और ऐसा करने पर उस पर कोई जुर्म आयद नहीं होगा और दफ़ा ४ की रू से पबलिक पर यह बाज़े किया गया था कि जिनके क़ब्ज़ में तार हों, वह उस को तबदील कर के उस की क़ीमत वसूल कर लें। अब भला बतलाइये कि ऐसा प्राविज़न होते हुए भी जिन लोगों के पास तार रहा हो और वह अब तक उसको तबदील नहीं कर सके, उस को डिक्लेयर नहीं कर सके, आज कैसे कह सकते हैं कि साहब हम ने तो यह माल बहुत इन्नोसेंटली लया था और आज यह जो बड़े जोर-शोर से बहस की गयी है कि इस बिल के मुताबिक़ अगर किसी ग़रीब और ईमानदार आदमी जिस के पास एक गज़ तार भी निकल आया, वह आफ़त में आ जायगा, यह सारी की सारी उन की दिमाग़ी उपज है। जनाब मुलाहिज़ा फरमायेंगे कि सन् ५० में हम ने जो ऐक्ट पास किया था, उस के अन्दर हम ने एक दफ़ा यह रखी थी कि यह कौगनेज़ेबुल केस नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के चन्द बड़े ओहदेदारों को अख़्तियार है कि वह कम्पलेंट (शिकायत) कर सकें, और इस की सुनवाई किसी आनरेरी मजिस्ट्रेट या सेकेन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के यहां नहीं होगी, बल्कि यह अच्छे से अच्छे मजिस्ट्रेट के पास जायगी, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही उसका फ़ैसला करेगा। मैं पूछता हूं कि क्या शराब और अफीम के लिए क़ानून नहीं है, लेकिन क्या नाजायज़ शराब बनायी नहीं जाती या

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अफ़ीम नाजायज़ तौर पर रखी नहीं जाती ? लेकिन ला सब के लिए मौजूद है और इस का यह मतलब तो नहीं हो जाता कि उस के लिए ला नहीं रहना चाहिये। अब जहां तक पज़ेशन (कब्ज़े) का ताल्लुक है, पज़ेशन के माने सिर्फ़ फ़िज़िकल पज़ेशन के नहीं हैं, बल्कि कांशस पज़ेशन के हैं। जैसे अगर मेरे कब्ज़े में से कोई चोरी का माल निकले, मेरी जेब में कोई चीज़ बिला मेरे इल्म के डाल दे, तो मैं ऐसे माल के लिये ज़िम्मेवार क़रार नहीं दिया जा सकता, मैं उस हालत में बिल्कुल मुजरिम नहीं हूं और मैं उस हालत में यह साबित कर सकूंगा कि मुझे इस के सम्बन्ध में इल्म नहीं हैं और इस तरह वह पज़ेशन कांशस पज़ेशन साबित नहीं होता और इसलिये मेरे दोस्तों का यह ऐतराज़ करना कि इस से बहुत से बेगुनाह आदमी फंस जायेंगे, दुरुस्त नहीं है। आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स जो हमारे सामने पेश किये गये हैं, उस के लिहाज़ से पुराने क़ानून में जो खामी थी वह दूर करने के लिए सरकार यह अमेंडिंग बिल लाई है, तो हमें इस को इस तरह से ही पास करना चाहिये जिस से आयन्दा से ऐसे तार की खरीद फ़रोख़्त पबलिक में बन्द हो जाय और गवर्नमेंट के इस क़ीमती सामान की चोरी न हो। और इसलिये आज फिर इस बिल के सम्बन्ध में पुरानी नुकताचीनी मुनासिब और जायज़ नहीं है। सरकार ने जिस हद तक तरमीम करना ज़रूरी समझा, उसी हद तक सन ५० के लिए यह अमेंडिंग बिल लायी है और मैं इस में कोई ख़राबी नहीं देखता जिस की वजह से मैं यह कह सकूं कि सरकार किसी ख़ास क़ानून के बरख़िलाफ़ या किसी ख़ास उसूल के बरख़िलाफ़ काम कर रही है और जिस के रहते बेगुनाह आदमी फंस जायेंगे। मैं इस वास्ते इस को बड़े ज़ोर से सपोर्ट करता हूं।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़—पश्चिम) : सभापति महोदय, चूंकि भाई ठाकुर दास बहुत अच्छे वकील हैं, और एक अच्छे वकील के माने यही होते हैं कि जहां कोई चीज़ न हो वहां साबित कर दे कि कुछ है और जहां बहुत कुछ हो, वहां के लिए साबित कर दे कि कुछ भी नहीं है।

डिपार्टमेंट की तरफ़ से मिनिस्टर की तरफ़ से साफ़ तौर पर यहां पर लिख दिया गया है कि अपने को निर्दोष साबित करने का दायित्व दोषी पर रहेगा। इस बारे में मेरे भाई का यह कहना कि ऐसा तो हम ने बहुत बार किया है जिस के अनुसार दोषी व्यक्ति को साबित करना पड़ता है कि वह निर्दोष है। मेरा कहना है कि जब हम क़ानून बनाते हैं, हमें ख़्याल रखना चाहिये कि किसी सिद्धान्त का खून न हो और इस में भी क्या कोई शक़ है कि आज इस बिल के द्वारा एक बहुत बड़े सिद्धान्त का खून हो रहा है। आज मैं समझता हूं कि फ्रांस के अलावा किसी देश में ऐसा नहीं है कि जहां दोषी आदमी को साबित करना पड़े कि मैं ख़तावार नहीं हूं।

सभापति महोदय, देहातों में देखा जाता है कि झगड़े होते हैं, बैर विरोध आपस में रहता है, किसी को जब बैर का बदला लेना होता है तो लोग अजीब अजीब तरह से षड़यंत्र रचते हैं और बेगुनाह आदमी को फंसाते हैं। किसी के घर में बन्दूक रख दी जाती है और किसी के घर में और कोई दूसरी नाजायज़ चीज़ फैंक दी जाती है और आप जानते हैं कि उस आदमी का अपने को बेगुनाह साबित करना कितना कठिन हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतनी बड़ी सरकार उस आदमी के खिलाफ़ जिस के खिलाफ़ मुक़दमा चला है क्या यह साबित नहीं कर सकती कि अमुक आदमी ने तार चुराया है ? क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं या सरकार

अहलकार इतने योग्य नहीं कि वे यह साबित कर सकें कि यह माल जो उस के पास से बरामद हुआ है, उस का नहीं है और यह सरकार के अमुक मुहकमे का है और वह आदमी चोरी का ख़तावार है और उस को सज़ा मिलनी चाहिये ? इस बिल से तो मैं यही मतलब निकालूंगा कि सरकारी कर्मचारी ऐसा साबित करने की योग्यता नहीं रखते, इसीलिये निर्दोष आदमी पर यह दायित्व डालते हैं कि वह अपने को निर्दोष साबित करे और ऐसा करने में शक़ नहीं कि सरकार द्वारा एक बहुत बड़े सिद्धान्त का खून हो रहा है ।

मेरे दोस्त श्री भार्गव और उन की पार्टी आज बहुमत में है, और मेरे दोस्त को अपनी पार्टी का समर्थन करना ही पड़ता है ।

लेकिन कभी कभी यह भी देखते हैं कि उस दल में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने दिल की बात सच्चाई से रख देते हैं जैसे कि अभी हमारे भाई टेक चन्द जी ने कहा । उन्हों ने बहुत सुन्दर तरीके से कहा, लेकिन ठाकुर दास जी तो गड़बड़ा ही गये । जो विरोधी दल है वह अगर कुछ बहस करे तो दूसरी बात है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य भी, जो बहुमत में ह, जब बोलते हैं कि यह ठीक बात नहीं है, फिर भी यह पास हो जाता है । यहां तो मंत्री कोई चीज़ ला कर रख दें, वह पास हो जाती है, चाहे बहुमत वाले हों चाहे विरोधी लोग हों और चाहे वह कुछ भी कहते रहें ।—मैं तो कहता हूं कि ऐसे ऐसे नियमों को, सभापति जी, आप यहां न आने दीजिये । मैं आप से कहूंगा : सभापति को, सब अख़्त्यार है और उन को देखना चाहिये कि जायज चीज़ यहां पर आये, नाजायज़ चीज़ न आये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किस अधिकार से या कानून से आप ऐसा कहते हैं ?

बाबू रामनारायण सिंह : जिस के हाथ में अधिकार, फैसला करने को होता है वह कर ही लेता है । इस में कोई शक नहीं कि इस हाउस का जो अधिकार है उस की रक्षा करने वाले आप ही हैं, यह एक सीधा सा कानून है । यह कैसी बात है कि मिनिस्टर यहां पर जो चाहें लायें और पास करा लें । इस वास्ते मैं मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि यह देखते हुए कि कांग्रेस के सदस्य, उन के पक्षपाती लोग भी, उन के खिलाफ़ बोल रहे हैं तो उन को यह विचार करना चाहिये । जब कहीं तार की चोरी होगी तो उन में इतनी योग्यता होनी चाहिये कि वह साबित करें कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है उस की जायदाद वह नहीं है, वह जायदाद उन की है । अगर उन में इतना साबित करने की ताकत नहीं है तो सरकार को पद से हट भी जाना चाहिये । सभापति महोदय, मैं अब खत्म कर रहा हूं, इतना ही कह कर के कि ऐसे ऐसे नियम या विधेयक पास होने से पार्लियामन्ट भी बदनाम होती है, सरकार भी बदनाम होती है.....

श्री जगजीवन राम (संचरण मंत्री) : आप भी बहुत पास कर चुके हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि जिन के हाथ में सरकार है, जिन के हाथ में बहुमत है वह कम से कम पार्लियामेन्ट की इज्जत की तो रक्षा करें अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं ।

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "अब प्रश्न पर मत लिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ।

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि वादविवाद के दौरान में उठाये गये प्रश्नों का पूर्ण उत्तर मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा दे दिया गया है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि न्याय

[श्रीराज बहादुर]

शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों का अतिक्रमण करने की बिलकुल इच्छा नहीं है । सबसे पहले तो यह सिद्ध करना है कि तार निर्धारित माप का है । यह भी सर्व-विदित है कि इस माप का तार डाक व तार विभाग के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता है । इसलिये यदि इस माप का तार किसी के पास निकले तो उसको यह सिद्ध करना ही होगा कि उसके कब्जे में यह तार वैध रूप से आया है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संशोधक विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ५ विधेयक का अंग बना लिये गये ।

खंड १--(संक्षिप्त नाम)

संशोधन प्रस्तुत किया गया :

पृष्ठ १ पंक्ति ३ में, "१९५२" के स्थान पर "१९५३" निविष्ट किया जाये ।

—[श्री राज बहादुर]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बना लिया गया ।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बेकारी सम्बन्धी प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री ए० के० गोपालन द्वारा २२ अगस्त, १९५३ का प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत विभिन्न संशोधनों पर अग्रेतर विचार करेगा :

"सदन का मत है कि देश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने तथा बेरोजगारों को सहायता देने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये ।"

श्री धूलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : श्रीमान् यह बेकारी का प्रश्न हमारे हिन्दुस्तान के सामने बहुत बड़े पैमाने पर है । जितनी बातें मेरे और मित्रों ने कही हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और इसलिये बहुत से कारण जो बेकारी के बतलाये गये हैं यदि मैं उनका जिक्र न करूं तो यह न समझा जाये कि मैं उन कारणों को महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं ।

मैं विशेषकर एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वह ध्यान इस ओर होना चाहिये कि हमारे भारतवर्ष में इस समय जो शिक्षा पद्धति है वह बहुत कुछ अंशों में बेकारी का कारण है । यह शिक्षा पद्धति हमारे यहां प्राचीन अंगरेजी जमाने से चली आ रही है और वही शिक्षा पद्धति हमने कायम रखी है, उस में हमने कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया है । यूनिवर्सिटी कमीशन की भी जो रिपोर्ट निकली है उन्होंने भी इस बेकारी के प्रश्न पर विचार नहीं किया और इसीलिये उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया कि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति मौलिक रूप से परिवर्तित हो जानी चाहिये । अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस ओर तो ध्यान दिया कि यूनिवर्सिटियां किस प्रकार की होनी चाहियें, उन में क्या होना चाहिये, लोगों का वेतन क्या होना चाहिये, किस यूनिवर्सिटी में कितनी लागत होनी चाहिये, कितनी पूंजी होनी चाहियें, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय यूनिवर्सिटियों में जो तालीम

दी जाती है, वह तालीम ज्यादातर बेकार है और इसलिये जो बेकार तालीम है अगर वह बेकारी को पैदा करे तो इस में कोई आश्चर्य नहीं है ।

आपकी यूनिवर्सिटी शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में जो मैं उपस्थित करना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुस्तान में एक एक प्रदेश में कई कई यूनिवर्सिटियाँ हैं लेकिन उन यूनिवर्सिटियों के ऊपर कोई यह बन्धन नहीं है कि वह कोई विशिष्ट विषय ही पढावें । उनको पूरा अधिकार है कि वह इंगलिश लेंग्वेज (अंगरेजी भाषा), हिस्ट्री (इतिहास), फिलासफी (दर्शन), कैमिस्ट्री (रसायन शास्त्र), फिजिक्स (भौतिक शास्त्र), बोटनी (वनस्पति शास्त्र) इस प्रकार के जितने विषय हैं उतने विषय हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ावें और हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखती है और इस बात का प्रयत्न करती है कि हमारे जितने विषय हैं उन सब विषयों के लिये हमको अधिक से अधिक रुपया मिले और यदि आप देखें तो उनकी रिपोर्टों में यह शिकायत रहती है कि उनके यहां जो प्रोफेसर हैं उन को काफी वेतन नहीं मिलता है और जो प्रोफेसर हैं वह काफी क्वालीफाइड नहीं हैं और जो उनके यहां इक्विपमेंट (यंत्रोपकरण) हैं वह भी काफी नहीं हैं । उत्तर प्रदेश में लगभग सात यूनिवर्सिटियां हैं । बम्बई में भी इसी प्रकार से सौ सौ और डेढ़ डेढ़ सौ मील पर यूनिवर्सिटियां हैं लेकिन उन पर कोई बन्धन इस प्रकार का नहीं है कि वह किन्हीं विशिष्ट विषयों को पढावें । तीस चालीस वर्ष पहले हिन्दुस्तान की प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक एक विषय के लिये मशहूर थी और यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में कहीं पर पारंगत होता था तो उससे पूछा जाता था कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के हो । यदि वह कहता था कि मैं अमुक यूनिवर्सिटी का हूं और मैं ने मैथेमेटिक्स (गणित) लिया है तो उसको बहुत योग्य समझा जाता था क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में इस बात का सिक्का था कि वह यूनिवर्सिटी मैथेमेटिक्स अच्छी पढ़ाती है । किसी यूनिवर्सिटी में कैमिस्ट्री पर जोर था, किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पर जोर था, किसी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज (भाषायें) अच्छी पढ़ाई जाती थीं । आज सारी यूनिवर्सिटियों का यह हाल है कि न तो कोई वहां पूरा साइंटिफिक इक्विपमेंट है, न इंस्ट्रूमेंट (यंत्रादि) हैं और न काफी क्वालीफाइड प्रौफेसर यहां पर हैं । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पुराने प्रौफेसर्स होते थे वैसे ही हमारे प्रौफेसर अब होने चाहियें, जैसे डा० पी० सी० राय श्री जे० सी० बोस, प्रोफेसर जदुनाथ सरकार । उनके बारे में दुनिया में यह समझा जाता था कि अगर कोई विद्यार्थी उनके पास पढ़ा है तो अवश्य ही वह विद्यार्थी अच्छा होगा । मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि आज हमारे यहां इतनी यूनिवर्सिटियां होते हुए भी कोई हमारे प्रोफेसरों का नाम नहीं जानता है ।

उपध्यक्ष महोदय : हम एक विषय से दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं ।

श्री धुलेकर : तो मैं थोड़े से शब्दों में साफ तौर पर यह बतलाना चाहता हूं कि अब गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) इस बात पर जोर दे कि जितनी यूनिवर्सिटियां आज चल रही हैं उन से कहा जाय कि वह किसी एक विषय को ले लें और जितने उस विषय के अच्छे विद्यार्थी हों वह वहां जायें और जितने अच्छे प्रोफेसर उस विषय के हों वह वहां पर रखे जायें । हर यूनिवर्सिटी को यह अधिकार न दिया जाय कि वह दस पन्द्रह और बीस सबजेक्ट (विषय) पढावे

[श्री धलेकर]

और इस तरह के थर्ड रेट (तृतीय कोटि के) विद्यार्थी निकाले जैसे कि आजकल निकल रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो सैकिंडरी एजूकेशन (माध्यमिक शिक्षा) है उस पर भी बन्धन होना चाहिये कि ऐसा न हो कि एक मास शिक्षा दी जाय और प्रति वर्ष लाखों विद्यार्थी तैयार कर दिये जायें जो कि एक साधारण भाषा पढे हों और दुनिया की कोई और बात न जानते हों। जो इस प्रकार के विद्यार्थी पैदा किये जाते हैं उसको भी बंद करना चाहिये। मिडिल पास करने के बाद ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस बात के लिये मजबूर करना चाहिये कि वे किसी न किसी इंडस्ट्रियल स्कूल में या किसी न किसी इंडस्ट्रियल कालिज में जायें और कोई न कोई धन्धा और हुनर सीखें। केवल मामूली साधारण शिक्षा देना और लाखों विद्यार्थियों को मैट्रिक और इंटरमीजियेट के तमगे देना और उसके बाद चिल्लाना कि बेकारी बढ़ रही है, इन दोनों बातों में संगति नहीं है। तो आप इस शिक्षा को बन्द कीजिये तो आपकी बेकारी बन्द होगी। अगर आप इस तरह की शिक्षा को बन्द नहीं करते हैं और यह शिक्षा जारी रखते हैं कि साधारण विद्यार्थी एंट्रेंस, एफ० ए०, बी० ए०, एम० ए० तक पढ़ता चला जाता है तो वह बेकारी को बढ़ाता है। जो शिक्षा दी जाती है वह इसी बात के लिये दी जाती है कि उस के दिल में यह भावना पैदा हो कि वह नौकरी के लिये दरख्वास्त दे। क्या आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार या प्राविंशियल सरकारें करोड़ों आदमियों को नौकरियां दे सकती हैं। यह कदापि नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस पार्लियामेंट को इस बात पर जोर देना चाहिये कि जो शिक्षा पद्धति इस समय जारी है और जो बेकार की शिक्षा पद्धति जारी है यह शीघ्रातिशीघ्र बन्द की जाय। यह कोई हंसने की बात नहीं है। कुछ लोग हंसते हैं। मैं समझता हूं कि जो मेम्बरान इस तत्व को नहीं समझते हैं और इस तत्व को समझने के लिये तैयार नहीं हैं वे हिन्दुस्तान की कोई भलाई नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिये कि यूनीवर्सिटी एजूकेशन में और सैकिंडरी एजूकेशन में तबदीली करें।

अब इसके बाद जो दूसरी बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि हमको अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी (औद्योगिक नीति) को भी निर्धारित कर देना चाहिये। हमको यह तै करना पड़ेगा कि कितनी इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल (बड़े पैमाने) पर रखेंगे और कितनी इंडस्ट्रीज को हम काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योग) बनायेंगे, कितनी इंडस्ट्रीज हम छोटी बनायेंगे और कितनी हम बड़ी बनायेंगे। तो जो दूसरी बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि पार्लियामेंट को शीघ्र ही इस बात पर निर्णय देना चाहिये कि हमको कितनी इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल रखना चाहिये और कितनी को स्माल स्केल (छोटे पैमाने) पर रखना चाहिये। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जहां तक डिफेंस (रक्षा) विभाग का काम है वहां तक तो मैं इस बात को कहूंगा कि फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन (पूर्ण औद्योगीकरण) होना चाहिये और जितनी चीजों की हमको डिफैंस डिपार्टमेंट में जरूरत है उन के लिये अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जरूरत है तो हम उनको जरूर रखें और उसमें किसी किस्म की कोताही न करें। लेकिन जो इंडस्ट्रीज कि सिविल पोपुलेशन (असैनिक जनता) के लिये हैं उनको लार्ज स्केल रखना और फिर इस बात की शिकायत करना कि हमारे

मुल्क में बेकारी बढ़ रही है, मैं कहता हूं कि यह सख्त गलती की बात है। जो सिविल पोपुलेशन है, जो साधारण काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या अधिकार है कि गरीबों को भूखा मार करके वह हैंड-लूम (खडडी) और खादी का कपड़ा न पहनें। वह २५ और ३० रुपये गज की साटन और दूसरे प्रकार के अच्छे मशीन के बने हुए कपड़े पहनते हैं और ५० रुपये गज के ऊनी मशीन के बने कपड़े पहनते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज बिल्कुल बन्द कर देनी चाहिये। केवल डिफेंस डिपार्टमेंट के लिये जो मजबूत कपड़ा बनाना है उसको मिल में बनाया जाय। लेकिन सिविल पोपलेशन को कोई अधिकार इस बात का नहीं होना चाहिये कि वह महीन कपड़ा, अच्छा कपड़ा और इस प्रकार का कपड़ा पहने कि जिससे लाखों गरीबों के मुंह से रोटी निकाल ली जाती है, खींच ली जाती है और देहातों में लोग जिसकी वजह से मर रहे ह। इसकी रोक थाम होनी चाहिये। इन दो बातों को आपके सामने पेश करके मैं निवेदन करूंगा कि एक तो शिक्षा पद्धति और दूसरे इंडस्ट्रिलाइजेशन की रोक थाम होनी चाहिये।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : इस चर्चा में बहुत से वक्ता भाग ले चुके हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि केवल दो मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख और श्री नन्दा) ही उपस्थित हैं।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): मैं भी उपस्थित हूं।

श्री डी० सी० शर्मा : हम चाहते हैं कि ऐसे गंभीर विषय में अधिकाधिक मन्त्री रुचि लें। केवल योजना या वित्त मन्त्री ही नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों को भी और यदि कोई सामाजिक कल्याण मंत्री होता, तो उसे भी इसमें रुचि लेनी चाहिये और हमें इस समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिये।

हमारी जनसंख्या के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा एक विद्वान का विचार है, यदि वह इसी रीति से बढ़ती रही, तो सारी जमीन और संसाधनों के होते हुए भी अभी या निकट भविष्य में कभी भी देश में पूरा पूरा रोजगार प्राप्त न हो सकेगा। अतः परिवार नियोजन में रुचि लेने वाले स्वास्थ्य मंत्री से मुझे यह विशेष रूप में कहना है कि उस सम्बन्ध में लोगों का भली भांति प्रशिक्षण होना चाहिये, अन्यथा हमारे संसाधन जन-संख्या की दौड़ में साथ न रह सकेंगे।

मैंने सामाजयाण मंत्री की नियक्ति के लिये इसलिये कहा था कि वह संयुक्त परिवार प्रणाली जैसे सामाजिक महत्व के अवस्थानों का ध्यान रख। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से हमने बहुत कुछ सीखा है, परन्तु उसने हमें कोरा स्वार्थ सिखाया है, अर्थात् सब कुछ अपन लिये किया जाय और बाकी सब कुएं में गिरें। आज के सामाजिक वातावरण में संयुक्त उत्तरदायित्व, संयक्त उत्पादन, और संयुक्त वितरण के सिद्धांत छिन्न विछिन्न हो चुके हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिये संयुक्त परिवार जैसी प्रणाली को भी आवश्यक महत्व देना होगा। मेरे गांव में (जो अब पाकिस्तान मह मुझे याद है, परिवार में एक-दो व्यक्ति ही उपार्जन करते थे और शेष नाम मात्र को कमाते थे, पर फिर भी सब काफी आराम से रहते थे। अतः सामाजिक कल्याण मंत्री इस प्रकार की प्राचीन और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रथाओं को पुनः प्रचलित करायें और उन्हें शक्ति प्रदान करें।

श्री धुलेकर इस विषय पर काफी जोर दे चुके हैं कि हमरी शिक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण

[श्री डी० सी०शर्मा]

है । हम सभी यह मानते हैं । पर उनके द्वारा सुझाया गया उपाय का ी न ीं है सेसिल रोड्स के शब्दों में मुझे कहना चाहिये कि हमारे छात्र केवल प्रमाण पत्र या उपाधियां ही नहीं नौकरियां भी चाहते हैं अर्थात् हमारे शिक्षा केन्द्र विशेष प्रकार के रोजगार दिलाने वाले केन्द्र हैं । वह सफेद-कालर-टाई वाला रोजगार है । हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जो हमें खेतों से और उन पुस्तैनी शिल्पों और व्यवसायों से, जो शताब्दियों से हमारे आर्थिक ढांचे के स्तम्भ स्वरूप रहे हैं, दूर न ले जायें ।

इसी प्रसंग में मुझे श्री राजगोपालाचार्य द्वारा मद्रास राज्य में चलाई गई नई शिक्षा-प्रणाली का निर्देश करना है । जिसके अधीन प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के छात्रों को अध्ययन के साथ साथ आधे समय में कोई शिल्प सिखाया जाता है । इस योजना की बहुत आलोचना हुई है, पर कुछ शिक्षा-शास्त्रियों ने इसकी प्रशंसा भी की है । देश में बरोजगारी दूर करने के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है और माननीय वित्त तथा योजना मंत्रियों को अप्रत्याशित क्षेत्रों से भी सहायता मिल रही है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें सभी सक्रिय हैं । पंजाब सरकार ने घरेलू उद्योगों के विकास, सड़कों के निर्माण, और छोटी सिंचाई योजनाओं आदि की एक योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी ह; इस से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा । इन योजनाओं के फलस्वरूप देश में बेरोजगारी इतनी उग्र नहीं रहेगी ।

पर एक बात मुझे कहनी है कि हम अपनी परिस्थितियों का ध्यान न रख कर उत्पादन के पाश्चात्य तरीके अपना रहे हैं । उन देशों मपूंजी बहुत है और जन-शक्ति कम है । हमारे यहां उलटी बात है । अतः हमें ऐसी योजनायें अपनानी चाहियें, जिनमें अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके ।

[**श्रीमती खोंगमेन** अध्यक्ष-पद पर आसीन थीं]

वित्त मंत्री और योजना मंत्री को एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिसमें देश के अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके । एक अम्री की लेखक का कहना है कि कालान्तर में इन मशीनों की देखरेख करना भी कठिन हो जायेगा । अतः हमारी औद्योगिक-अर्थव्यवस्था पश्चिम और पूर्व का सम्मिश्रण होनी चाहिये । दोनों की सीमायें निश्चित कर दी जायें, जिससे उनमें स्पर्धा न रहे । मेरे विचार से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में की गई कार्यवाही के फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति की विषमता कुछ कम हो गई है । पर इन अल्पकालीन योजनाओं के स्थान पर हमें दीर्घकालीन व्यवस्था करनी होगी, उस के लिये शिक्षा प्रणाली ौर औद्योगिक व्यवस्था का कायाकल्प करना तथा परिवार-नियोजन का प्रचार करना अत्यन्त आवश्यक है ।

श्री जो० डो० सोमानो (नागौर—पाली) : पिछले कुछ महीनों से सदन के भीतर और बाहर बेरोजगारी की दारुण समस्या को लेकर बहुत वाद-विवाद चल रह है और उस दिन वित्त मंत्री ने विविध आंकड़े देकर यह सिद्ध किया था कि बेरोजगारी की समस्या इतनी विषम नहों है । हमें अपनी अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक खंड में विद्यमान बेरोजगारी के आंकडे तो ज्ञात नहीं हैं, पर जब तक कोई सर्वतोगामी उपाय न अपनाया जाय, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । हमारी अधिकांश जनसंख्या

कृषिकार्य में लगी है और उसको छोड कर सर्वाधिक रोजगार निजी उद्योगों द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं उस दृष्टि से कुछ बातें सदन के सम्मुख रखूंगा। राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट के अनुसार अखेतिहर व्यवसायों में लगे ४२७ लाख व्यक्तियों में १८७ लाख खनन, निर्माण तथा दस्तकारियों और व्यापारों में लगे हुए हैं और १०७ लाख वाणिज्य, यातायात और संचरण में। अर्थात् लगभग २८० लाख व्यक्ति इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। ३६ लाख व्यक्ति केन्द्रीय प्रशासन सेवाओं में और १० लाख से कुछ अधिक रेलवे समेत सभी राज्य-उपक्रमों में लगे हुए हैं। सारांशतः अखेतिहर व्यवसायों में लगे हुए ७५-८० प्रति शत व्यक्तियों को निजी उद्योगों द्वारा रोजगार दिया जाता है। इसीलिये योजना आयोग ने भी रोजगार के विषय में निजी उद्योगों के महत्व को मान्यता दी है। सरकारी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से जहां निजी उद्योग कार्य करने में असमर्थ हों अथवा अनिच्छुक हों तो राज्य-उपक्रम चालू करना कार्यकुशलता की दृष्टि से अनिवार्य हो जाता है, पर शेष उद्योग निजी लोगों के ही हाथ में रहेंगे। अतः यदि सरकार निजी उद्योगों को आवश्यक संसाधन सुलभ कर दे, तो यह बेरोजगारी के निराकरण के लिये उचित दिशा में उठाया गया एक पग होगा। इस प्रसंग में मैं अमरीकी परामर्श-दात्री-परिषद् के सभापति डा० आर्थर एफ० बर्न्स के शब्दों का उद्धरण दूंगा। उनके विचार से रोजगार की कमी के समय सरकार को चाहिये कि निजी उद्योगों पर भारी भारी कर या अन्य नियंत्रण आदि न लगाये, क्योंकि उनसे रोजगार कम होता है। ऐसा न करने से ही रोजगार बढ सकेगा। माननीय वित्त मंत्री से यह आश्वासन पाकर मुझे हर्ष हुआ था कि सरकार संसाधनों और सार्वजनिक हित के अनुसार निजी उद्योगों की प्रत्येक समुचित सहायता करेगी, परन्तु पंचवर्षीय योजना में निजी उद्योगों द्वारा लक्ष्यबिन्दु प्राप्त कर लेने की उनकी बात मुझे नहीं जंचती है, क्योंकि यह लक्ष्यबिन्दु स्वयं ही बहुत कम था। यदि संसाधन उपलब्ध कर दिये जायें, तो निजी उद्योग योजना से कहीं अधिक लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। बेरोजगारी जैसी दारुण समस्या की चर्चा के प्रसंग में मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दीखता कि वित्त मंत्री पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यबिन्दु से ही क्यों संतुष्ट हो जाते हैं और निजी उद्योगों को और अधिक राजकोषीय-प्रोत्साहन क्यों नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि वे इस दिशा में योजना के लक्ष्यबिन्दु से भी आगे बढ़ सकें। उस बात को लेकर यह कहना कि करारोपण जांच आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद और कुछ किया जा सकेगा, उचित नहीं है और वह भी उस समय जब कि हम देश में व्याप्त दारुण बेरोजगारी के निवारण के उपाय खोज रहे हैं। अत्यावश्यक समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होता है। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई सहायता नहीं मांगते हैं। अधिकाधिक संसाधनों के उपलब्ध कर देने से पूंजी-विनियोजन और उद्योग बढ़ सकेंगे और रोजगार बढ़ेगा। विनियोजन बढ़ाने के लिए अपेक्षित सुविधाओं और रियायतों के विषय में अनेकों सुझाव दिये गये हैं, उनको दुहराना आवश्यक नहीं है। एक सुझाव यह भी था कि यदि कोई उद्योग अपने लाभ का एक अंश उसी उद्योग के विस्तार या नये उद्योग की स्थापना में विनियोजित करना चाहे, तो उस पर आयकर न लिया जाये। उस पर न प्रबन्ध अभिकर्ताओं को कमीशन मिले और न मजदूरों को लाभांश। इस प्रकार शुरू में सरकार समेत समाज के प्रत्यक अंग को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, पर इससे विभिन्न उद्योगों का विकास बड़ी तेजी से होगा। देश के बड़े बड़े

[श्री जी० डी० सोमानी]

उद्योग यदि इस प्रकार कुछ अंश अलग रखने लगें, तो हमारे उद्योग बड़ी तेजी से विकसित होने लगेंगे और निकट भविष्य में ही बड़ी-बड़ी योजनायें हमारे सामने आ जायेंगी। इसी प्रकार के अन्य सुझाव भी दिये गये हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या करना यहां सम्भव नहीं है, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

बिजली कम्पनियों के लिए सन् १९४८ के विद्युत् अधिनियम के अधीन अधिकतम लाभ ५ प्रतिशत नियत किया गया है, जो आज की परिस्थिति में बहुत कम है शायद सरकार इसे स्वयं बढ़ाना चाहती है, पर इस अधिनियम को संशोधित नहीं कर सकी है। देश में इस उद्योग के विकास के लिए सरकार को तुरन्त ही कुछ उपाय करने चाहियें। ऐसे अनेक अन्य सुझाव हैं जिन पर सरकार को निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये और आयोग या अन्य जांचों की उपपत्तियों के लिए रुका नहीं रहना चाहिये। जब कभी कोई बात अत्यावश्यक प्रतीत हो और कोई सुझाव उचित और लाभप्रद जंचे तो यथाशीघ्र उस पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर): बेकारी की समस्या पर कई दिनों से वाद-विवाद हो रहा है और इस के कई पहलुओं पर विचार किया गया है। किन्तु इस से हम किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्य किये जायें। इस से इतना अवश्य हुआ है कि देश भर का ध्यान इस समस्या की ओर खिंच गया है। इस समस्या पर विश्वविद्यालयों, समाचार पत्रों तथा अन्य जगहों पर चर्चा की जाती है। मैं समझता हूं कि यदि योजना आयोग इस समस्या के सम्बन्ध में जिन बातों का सुझाव दिया गया है उन की जांच करे और इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करे तो इस समस्या को हल करने में बहुत सहायता मिलेगी। मैं समझता हूं कि योजना आयोग या सरकार के सामने इस समस्या के सम्बन्ध में पूरी विस्तृत बातें नहीं हैं। हमारे प्रधान मंत्री सभी प्रश्नों पर आदर्शवादिता की दृष्टि से विचार करते हैं, वित्त मंत्री यथार्थवादिता की दृष्टि से विचार करते हैं और इन दोनों के बीच योजना मंत्री को योजनायें बनानी पड़ती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि घबड़ाने की कोई बात नहीं है, दाम अब गिर रहे हैं, विदेशी विनिमय की स्थिति अच्छी है तथा कपड़े, सीमेन्ट और पटसन का उत्पादन बढ़ रहा है। उन के अनुसार मुख्य समस्या आर्थिक कार्यवाही तथा विनियोजना को प्रोत्साहन देना है। इस समस्या का सामना करने के लिये उन्होंने योजना में राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों तथा गैर सरकारी उद्योगों के लिये आगामी दो वर्षों के लिये ७०० करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया है।

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं ने तो यह कहा था कि राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों के लिये आगामी दो वर्षों में ६०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष।

श्री एन० एम० लिंगम: वित्त मंत्री के अनुसार इस समस्या को हल करने का यह उपाय है। किन्तु हम देखते हैं कि देश में भुखमरी फैली हुई है और जहां का मैं निवासी हूं वहां जुलाहों की बहुत बुरी दशा है और वे भीख मांगते फिरते हैं तथा सदन को यह बात मालूम है कि मद्रास निगम ने उन के लिये खाद्य वितरण केन्द्र खोले हैं। विचारवान् व्यक्ति इस प्रश्न से चिन्तित हैं। अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में आंकड़ों की जांच करके अपने को सन्तुष्ट कर लेने की अपेक्षा

हमें उस समस्या पर अधिक गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। इस योजना के विस्तार के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि लोगों को किस प्रकार काम मिल सकता है और उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि देश में कितनी आंशिक बेकारी तथा बेकारी है। उन्होंने केवल इतना बताया है कि गांवों तथा शहरों में रोज़गार सम्बन्धी प्रश्नों की जांच करने के लिये कई समितियां नियुक्त की गई हैं। हमें इन सब आंकड़ों को इकट्ठा करके उन का विश्लेषण करना चाहिये। बिना सन्तोषजनक आंकड़ों के इस समस्या को हल करने के उपायों का सुझाव देना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन में लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है।

हमारे गांवों की दशा बहुत बुरी है। भारत में बहुत अधिक संख्या में गांव हैं और उस का भीतरी क्षेत्र भी बहुत विशाल और अविकसित है तथा उस का बहुत अधिक विकास किया जा सकता है। गांवों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें नहीं हैं। हमें वहां इन सब की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि हम इन ग्राम योजनाओं को चलायें और यदि हम उन्हें शहरों वाली सुविधायें दें तो हम इन में ही लोगों को पचास वर्ष तक काम दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने दौरों में गांवों की हालत को भी देखें। इस से उन्हें अपनी नीति बनाने में सहायता मिलेगी और देश की वास्तविक दशा का पता लगेगा।

कुछ सदस्यों ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता के बारे में कहा। इस बात को सभी मानते हैं कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से परिवर्तन करना चाहिये, जिस से स्कूल और कालेजों से निकलने वाले छात्र अपने दृष्टि कोण में परिवर्तन कर सकें और अपने आप को देश की परीस्थिति के अनुकूल बना सकें।

मुझ से पूर्ववक्ता सदस्य ने गैरसरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की यह धारणा, कि गैर सरकारी उद्योगों को पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य करना है, इन वर्तमान दशाओं में सत्य नहीं हो सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इन्हें और रियायतें दी जायें। मेरे विचार से इस समय सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दें जिस से कि सभी व्यक्ति अपना खर्च कम कर दें, चीजों को बर्बाद न होने दें और यथा सम्भव अधिक त्याग करें। यदि इस बारे में हम अत्यधिक प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी।

अन्त में मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस समस्या पर विस्तार पूर्वक विचार करें और इस जांच करने के बाद सरकार जो भी विधान इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करेगी सदन उस का समर्थन करेगा। हमारे देश की अविकसित अर्थव्यवस्था है : हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी है, हमें सामाजिक विधान बनाना है और हमें सभी दिशाओं में प्रगति करनी है। योजना आयोग तथा उस सदन का यह काम है, कि वे बनाये जाने वाले सामाजिक विधान, उत्पादन, सेवायोजन जैसी व्यवस्थाओं में व्यवस्था सन्तुलन बनाये रखें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें इस समस्या को हल करना चाहिये।

श्री अजित सिंह (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अनएम्प्लायमैंट (बेकारी) के बारे में कई दिनों से हम

[श्री अजित सिंह]

मुख्तलिफ दोस्तो की स्पीचें सुनते आ रहे हैं। मुझे यह कहना है कि गवर्नमैंट ने काफी कुछ अनएम्प्लायमेंट को खत्म करने के लिये किया है, मसलन् एम्प्लायमैंट एक्सचेंज बनाये गये, फाइव ईयर प्लान (पंच वर्षीय योजना) चालू किया गया, इसी तरह काम्युनिटी प्राजैक्ट (सामुदायिक परियोजनायें) भी बनाये गये। यह चीजें बनाने से या चालू करने से उतना अनएम्प्लायमैंट खत्म नहीं हुआ जितने की हम लोगों के दिल में इच्छा थी। आज कल भी लोग जो कि पढ़े हुए हैं, एम० ए० तक पढ़े हुए हैं, वह सालहा साल घूमते फिरते हैं और उन को कोई जगह नहीं मिलती, कोई आसानी नहीं मिल पाती, जहां कहीं वह जाते हैं वहां "नो वेकेन्सी" का पट्टा लगा हुआ मिलता है। तो इस तरीक़े से जो एजूकेटेड तबक़ा (शिक्षित वर्ग) है, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन में बहुत ज्यादा डीमारैलाइजेशन आ चुका है और वह यह समझने लग गये हैं कि गवर्नमैंट इतनी क़ाबिल नहीं है कि वह अपने मुल्क के वासियों को कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा काम दे सके, जिस से कि वह अपना रोज़गार चला सकें।

दूसरी बात यह है कि हम ने काम्युनिटी प्राजैक्ट के लिये जितना पैसा रखा है वह बहुत कम है। इस पर अगर पैसा ज्यादा खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं कि उस से मुल्क की तरक्की भी होगी और दूसरे जो लोग बेकार हैं, उन लोगों को ज्यादा काम भी मिल जायगा।

तीसरी बात यह है कि आज से कई साल पहले जब कि हमारी हुकूमत नहीं थी, उस वक़्त यह स्लोगन (नारा) उठा था, यही हमारे दोस्त कहा करते थे कि जब हम आज़ाद होंगे तो हिन्दुस्तान में हर चीज़ को नैशनैलाइज किया जायगा, हर चीज़ को नशनैलिज्म (राष्ट्रीयता) का जामा पहनाया जायगा। मगर आज तक इन का वह स्लोगन स्लोगन ही रह गया है। अभी तक इस तरफ़ कोई क़दम नहीं उठाया गया। इस का नतीजा यह हुआ कि जो लोग फैक्टरी के मालिक थे, मिल ओनर्स थे, उन को उस वक़्त यह मालूम हो गया था कि जब यह कांग्रेस हुकूमत गद्दी पर आवेगी तो यह हमारी फैक्टरियां नैशनैलाइज कर के खत्म कर देगी, इस लिये इन्होंने अपने काम को बन्द कर दिया और वहां के हज़ारों और लाखों मज़दूरों को काम छोड़ना पड़ा जो दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं। इस तरह की गवर्नमैंट की जो यह दोरंगी पालिसी है इस से मुल्क को बहुत ज्यादा नुक़सान हुआ है। जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने अपना काफी पैसा यहां से दूसरे मुमालिक में भी ले जाने की कोशिश की है और इस तरीक़े से मुल्क को और नुक़सान हुआ है। इस तरह की यह चीज़ काफ़ी मुल्क के सामने रही है कि नैशनैलाइजेशन (राष्ट्रीय करण) हो जायगा, फैक्टरीज जो हैं वह नैशनलाइज की जावेंगी, ट्रांसपोर्ट नैशनैलाइज किया जायगा, ज़मीन को नैशनैलाइज किया जायगा, तो आज क्या वजह है कि इस में इतनी रुकावट की जा रही है। इसी वजह से हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह हुकूमत भी अमीरों की हुकूमत है और हिन्दुस्तान के सब आदमियों की हुकूमत नहीं है।

हम ने अपने फाइव ईयर प्लान को चलाने के लिये बाहर के मुमालिक से पैसा लिया। अगर हम ज़रा तवज्जह देते और मुल्क के अन्दर ही पैसा पाने की कोशिश करते तो पैसा इकट्ठा होने के हमारे मुल्क में और भी सोर्सेज (स्रोत) हैं। मसलन् आज कल हम राज प्रमुख और जो पुराने राजा और महाराजा हैं, जिन्होंने काफी देर तक इस मुल्क को लूटा है, और जिन को

हम यहां से अब भी पैसा देते हैं और वह अपनी पोलीटिकल पार्टीज (राजनैतिक दलों) में हिस्सा ले रहे हैं, अगर हम उन लोगों के प्रीवी पर्सेज (निजी थैलियां) को बन्द कर देते हैं तो इस से हमें पांच करोड़ रुपये की बचत हर साल हो जाती है जिसको कि हम फ़िर काम्युनिटी प्राजैक्ट और फाइव ईयर प्लान में ज्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ।

अब रहा एजूकेशन सिस्टम (शिक्षा पद्धति) के बारे में । इस के लिये जो दोस्त बोले हैं उन से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा एजूकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है । हमें ऐकैडैमिक साइड के नहीं, बल्कि टैक्नीशियन्स (प्रविधिविज्ञ), डाक्टर्स और साईंटिस्ट्स को पैदा करना चाहिये । हमें इसी तरह के आदमियों को स्कूलों और यूनीवर्सिटियों से निकालना चाहिये, ताकि जैसे हम बाहर के मुल्कों के लोगों को काम पर रखते हैं और बहुत ज्यादा तनख्वाह पर रखते हैं, तो वह तनख्वाह बच जायगी और यहां अपने मुल्क के सीखे हुए अच्छे टैक्नीशियन्स और सायंटिस्ट्स और डाक्टर्स काम कर सकेंगे । इस तरह से पैसा भी काफी बच सकता है और वह अनएम्प्लायमैंट को खत्म करने में काफी मदद भी दे सकता है ।

मैं अब ज्यादा जो कहना चाहता हूं वह है फील्ड लेबरर्स (कृषि श्रमिकों) के बारे में जो कि काश्तकारी मजदूर हैं, उन के बारे में । मेरे कई दोस्त यहां ऐसे भी हैं जो कि इस बात को सुन कर नाराज़ हो जायेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि मकैनाइजशन स्कीम (यंत्रीकरण योजना) जो चल रही है, जो ट्रैक्टर्स और बुलडोजर्स वग़ैरह से ज़मीन को काश्त किया जाता है यह इस तरह से तो ठीक है कि वक्त बचता है और काफी लेबर बचाता है, मगर इस में नुक़सान यह है कि हमारी एनएम्प्लायमैंट दिन ब दिन ज्यादा हो रही है । हमारे ही एक इलाक़े में जहां पर कि बीस बीस और चालीस चालीस आदमी एक ज़मींदार के फ़ार्म में काम करते थे, आज उस ज़मींदार ने ट्रैक्टर ले लिया और अपने आप ही खुद ही उस को काश्त कर के सब खेत को ठीक कर दिया है । इस तरह बीस तीस आदमियों का रोज़गार खत्म हो गया और वह मजबूर हो गये, भीख मांगने के लिये, चोरी करने के लिये, और डाका डालने के लिये । इस तरह से मुल्क में बदअमनी भी ज्यादा शुरू हो गयी है ।

तो अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहता । दोबारा फिर मैं इसी पर ज़ोर देता हूं कि यह गवर्नमैंट की दोरंगी पालिसी ठीक नहीं है, एक तरफ तो यह कहना कि नैशनलाइजेशन होना चाहिये और दूसरी तरफ़ करना कुछ नहीं । दो बेड़ी में पैर रखने वाला कोई भी दरिया पार नहीं कर सकता है । एक ही पालिसी होनी चाहिये और वह डैफिनिट पालिसी (निश्चित नीति) होनी चाहिये ।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : कुछ दिन पूर्व मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने देश में बेकारी की समस्या के बारे में विस्तृत बातें बताई थीं । इसलिये मैं केवल उन कार्यों के बारे में, जो इस समस्या को हल करने के लिये किये गये हैं या जिन्हें करने का विचार है, बताऊंगा ।

इस प्रश्न पर सदन में काफी चर्चा हुई है । कुछ सदस्य इसे सब से महत्वपूर्ण समस्या समझते हैं । मैं मानता हूं कि यह समस्या ऐसी ही है । इस समय देश में हमारे सामने सबसे बड़ा कार्य बहुसंख्यक बेकार आदमियों के लिये रोज़गार और काम ढूंढना है ।

मैं समझता हूं कि जब हमारी यह समस्या हल हो जायेगी तो हमारी अधिकांश आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । हमारे उत्पादन में

[श्री नन्दा]

वृद्धि हो जायगी, हमारी आय में वृद्धि हो जायगी और हम बहुत हद तक आर्थिक असमानताओं को दूर कर सकेंगे।

मैं समझता हूं कि यह समस्या ऐसी है कि इसे हल किया जा सकता है। बेकारी की समस्या देश में बहुत दिनों तक तो नहीं रहेगी। सौभाग्य से, हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और हम ने अभी तक उन का उपयोग नहीं किया है। इसमें आर्थिक सहायता या धन का इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। हमारे मार्ग में संगठन सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां हैं। हमें एक उपयुक्त आर्थिक तथा सामाजिक संगठन चाहिये और हमारी प्रशासन व्यवस्था भी उपयुक्त होनी चाहिये जिससे कि हम देश की जनशक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें और इस कार्य के लिये उपयुक्त वातावरण बना सकें। हम यह काम कर भी रहे हैं। किन्तु हमें इस दिशा में और अधिक प्रयत्न करने होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि यह बेकारी की समस्या हमारे देश की आज की है ही समस्या नहीं है। यह इस बात का चिन्ह कि हमारी अर्थ व्यवस्था का विकास बहुत काल तक बहुत कम हुआ और यह उपेक्षित अवस्था में रही है। इतने समय तक जो अर्थ व्यवस्था उपेक्षित अवस्था में रही हो उसके परिणामों को दो-तीन वर्षों में तो दूर नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ समय तो लगेगा ही।

मैं यह भी जानता हूं कि देश में जागृति हो रही है और लोग अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अतः हमें इस दिशा में बड़ी तीव्र गति से प्रगति करनी है। हमें थोड़े से समय में ही बहुत अधिक विकास कार्य करना है जिसको सामान्य रूप से करने में बहुत समय लगेगा। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता दूं कि हम किसी एक उपाय पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमारे पास इस समस्या का कोई सीधा सादा हल नहीं है। इसके लिये हमें अपने ही उपाय ढूंढ निकालने होंगे और इस समस्या पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करना होगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और बता दूं। अपने आर्थिक विकास के मामले में हम अपने आपको किसी राजनैतिक सिद्धान्त तक ही सीमित नहीं रखेंगे। हम इस बात को समझते हैं कि देश के बेकार व्यक्तियों के प्रति देशवासियों का एक निश्चित उत्तरदायित्व है। हम से यह बात कही गई है कि हम बेकार व्यक्तियों को दान स्वरूप आर्थिक सहायता दें। मैं समझता हूं कि यह हल न तो व्यावहारिक है और न वांछनीय ही है। निस्सन्देह, हमें बेकारी की समस्या के हल को अपनी योजना का प्रधान आधार बनाना है। किन्तु हमें इस समस्या को हल करने के लिये दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

जनता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, हम उसे किस प्रकार पूरा करें इस सम्बन्ध में मैं तीन पहलुओं को मानता हूं। सबसे पहिले हम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या के अत्यावश्यक पहलुओं को लेंगे। बाज़ार के भावों में जो उतार चढ़ाव होता है उससे शहरों में बेरोज़गारी की समस्या पैदा होती है। हम परिस्थितियों के अनुसार इन मामलों पर कार्यवाही करते हैं। अभी हाल ही में जब कपड़ा उद्योग में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई थी तो हमने उस सम्बन्ध में बहुत शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की थी और इस प्रकार हमने कपड़ा उद्योग के मज़दूरों के हज़ारों परिवारों को विपत्ति से बचा लिया था।

हमारे आर्थिक विकास की समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है। यह इन सब प्रश्नों

का वास्तविक उत्तर और हल है। वास्तविक उत्तर यह है : विकास स्तर ऊंचा कर दिया जाय, देश के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाय और उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाय। हमें बड़ी बड़ी योजनायें बनानी हैं, उद्योगों, यातायात सेवाओं, सिंचाई विद्युत् तथा कृषि सम्बन्धी विकास के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी योजनायें बनानी हैं। यही इसका हल है।

इसके दौरान में हम समस्या के बीच की अवस्था का सामना कर रहे हैं। आप इसे अल्पकालीन पहलू कह सकते हैं। हाल के महीनों में हमें देश में बेकारी की समस्या के बढ़ने का सामना करना पड़ा है। इस अवस्था के सम्बन्ध में मैं एक या दो बातें कह देना चाहता हूं। सवाल एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था से दूसरे प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में जाने का भी है। यह भी बात है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि योजना के कार्यान्वित किये जाने में विलम्ब होता है। इस योजना द्वारा हम ने पांच वर्ष के दौरान में कुछ आर्थिक परिणाम निकालने चाहे थे। जब हम ने इसे आरम्भ किया था तो हम यह जानते थे कि परिणाम योजना की अवधि के अनुपात में न होंगे। हमें साधारण पैमाने पर काम आरम्भ करना पड़ा था। हम ने यह अनुमान लगा लिया था कि कितना विनियोजन होगा तथा इसीलिये यह भी समझ लिया था कि योजना के अन्तिम वर्षों के दौरान में विकास की प्रगति भी अधिक होगी। यह मालूम ही था कि आरम्भिक अवस्थाओं में तो तैयारी होगी तथा तुलनात्मक रुप से प्रगति धीमी रहेगी। देखा जाये तो पहले वर्ष में स्थिति ज्यों की त्यों रही। सदन को मालूम ही है कि सदन ने इस योजना को केवल पिछले वर्ष के अन्त में ही स्वीकार किया था। इसमें कठिनाइयां थीं। अनेक राज्यों की प्रशासन व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी कि वह योजना द्वारा बताई गई रफ्तार के अनुसार काम कर सकती। एक और बात भी है। जब हम योजना तैयार करते हैं तो योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वित किये जाने के बीच कुछ समय व्यतीत हो जाता है। पहले वर्ष में हमने केवल १/८ प्रगति की—मैं मोटे रूप से कह रहा हूं। दूसरे वर्ष में १/६—सारी योजना को देखते हुए। चालू वर्ष में हम अनुपात के अनुसार ही चल रहे हैं : २० प्रतिशत या १/५/ अब, अगले दो वर्षों के लिये जो कुछ बच रहता है वह आधे से कुछ अधिक ही है। यह स्थिति उस समय की है जब कि हम योजना को मूल रूप में लेते हैं। परन्तु, हमने योजना में संशोधन किया है, हम अब भी कर रहे हैं और इसीलिये कुछ अधिक ही कार्य होगा। ज्यों ज्यों योजना के कार्यान्वित किये जाने में प्रगति होती जायगी, हम देखेंगे कि हमारी कठिनाइयां भी घटती जाती हैं। हम इस समय जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ सीमा तक यह स्वयं उसका हल हो सकेगी।

अब मैं दूसरी बात को लेता हूं, परिवर्तन—बाज़ार का विक्रेता के हाथ से निकल कर क्रेता के हाथ में जाना—क़ीमतों में कमी का रुख। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम नहीं चाहते। परन्तु, कुछ समय के लिये तो इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः इस अल्प-कालीन पहलू के लिये कुछ तो करना ही होगा। मैं इस अवस्था पर बतला देना चाहता हूं कि यह परिवर्तन अन्य कारणों से और भी बढ़ गया है। कुछ वर्षों से हमारे नगरीकरण में बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है तथा पढ़े-लिखे लोगों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है—कम से कम पिछले वर्षों के मुकाबले। मेरे पास आंकड़े हैं और आगे मैं उनका उल्लेख भी करूंगा। इसकी वजह से भी स्थिति कुछ बिगड़ गई है। सवाल तो यह

[श्री नन्दा]

है कि हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। मंत्रालयों तथा राज्यों से परामर्श करके योजना आयोग इस बात का पता लगा रहा है कि वास्तव में, निश्चित रूप से क्या किया जाये। मेरे पास यहां पर कुछ सामग्री है जिसे मैं ठीक एक विवरण के रूप में रख देना चाहता हूं तथा सदन को बतलाऊंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

हमारे सामने जो समस्या है उसके तीन पहलू हैं : पहले तो उन विकास योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने में शीघ्रता करना जो पहले ही से योजना का एक भाग हैं, दूसरे, उपयुक्त संशोधन तथा समायोजन करना जिससे वर्तमान योजना को मज़बूत बनाया जा सके। तथा आर्थिक व्यवस्था पर उसका सम्पूर्ण प्रभाव बढ़ सके, तथा, तीसरे, रोज़गार बढ़ाने के लिये नये प्रोग्राम बनाना, विशेषकर, शहरी क्षेत्रों में। पहले पहलू के सम्बन्ध में तो मैं पहले ही निर्देश कर चुका हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ योजना में संशोधन करने पर विचार किया गया था। यह तय हुआ था कि योजना का विस्तार १५० या १७५ करोड़ रुपये तक और कर दिया जाये। केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना करीब करीब समाप्त सा हो रहा है तथा मैं एक या दो प्रस्ताव भी बतला सकता हूं।

जैसा कि सदन को मालूम ही होगा कि जब योजना तैयार की गई थी तो पुनर्वास के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन वर्ष के लिये व्यवस्था की गई थी। हाल ही में समस्या पर पुनः विचार किया गया है, यद्यपि कुछ बातों के सम्बन्ध में और आगे जांच करनी होगी फिर भी, यह सम्भावना है कि वर्तमान योजना के बचे हुए ६ करोड़ रुपयों के अलावा अगले दो वर्षों के लिये पुनर्वास के सम्बन्ध में ४५ करोड़ रुपये और उपलब्ध हो सकेंगे। यह आशा की जाती है कि एक दूसरे पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा अर्थात् शरणार्थी बस्तियों का विकास, जहां पर बेकारी ज़ोर पकड़ रही है।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के अलावा, योजना में संशोधन करने के रूप में, १० करोड़ रुपये की लागत का एक नया सड़क कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ऐसी कुछ सड़कों को हाथ में लेना जिन्हें अब तक केन्द्र या राज्य की वर्तमान योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, किन्तु जो विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। केन्द्र में और बहुत सी योजनाओं को भी मंजूर किया जा रहा है जिनकी लागत लगभग १५ करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाएं लगभग ७० करोड़ रुपये की होंगी। मैं विस्तार की बातें नहीं बतला रहा हूं, मैं तो केवल उन बातों का निर्देश कर रहा हूं जो इसमें आती हैं : दफ्तर तथा रहने का स्थान, स्वास्थ्य, बन्दरगाह, भारत परिमाप, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के लिये कुछ व्यवस्था तथा कृषि शिक्षा आदि के लिये अतिरिक्त उपबन्ध।

मैंने केन्द्र में होने वाली महत्वपूर्ण बातों को बतलाया है। राज्यों में, हम ने एक समस्या पर विशेष रूप से विचार किया है जो कि वहां पर बहुत समय से चली आती है—अर्थात् लोगों की कम क्रय शक्ति। इनमें से कुछ क्षेत्रों को योजना में शामिल कर लिया गया है। किन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें समय समय पर, जब कमी की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि काम की व्यवस्था की जाये, विशेष कर, तालाबों और सड़कों की मरम्मत, जिससे लोगों को

अस्थायी रूप से काम और सहायता मिल सके। हमने यह अनुभव किया कि इन क्षेत्रों में स्थायी रूप से सुधार करने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके तथा यह क्षेत्र भावी विकास कार्यक्रम में अच्छी तरह से सहयोग दे सकें। हाल ही में ४० करोड़ रुपये की लागत का एक विशेष प्रोग्राम मंजूर किया गया है तथा केन्द्रीय सरकार ३० साल तक के लिये ऋण देने के लिये तैयार हो गई है जिस पर पहले पांच वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। क्योंकि कुछ योजनाएं जिनको शामिल किया गया है वे पहले ही से सम्बद्ध राज्यों की वर्तमान योजनाओं में हैं, इसलिये अतिरिक्त व्यय कुल ३५ करोड़ रुपये का है। प्रोग्राम १२ राज्यों पर लागू होता है : आसाम, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, राजस्थान तथा अजमेर। मेरे पास प्रत्येक राज्य के आंकड़े मौजूद हैं, किन्तु इस मद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है यह बतला कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

पिछले अगस्त में, राज्य सरकारों से उन अतिरिक्त योजनाओं पर विचार करने के लिये कहा गया था जिनका सम्बन्ध छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योगों, व्यावसायिक तथा टेकनिकल प्रशिक्षण, अतिरिक्त थरमल शक्ति को बढ़ाने की व्यवस्था, सड़क विकास तथा सड़क परिवहन सेवाओं के विकास से था। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित राज्यों के साथ परामर्श करके अलग से विचार किया जा रहा है।

अब मैं कुछ ऐसे प्रस्तावों को लेता हूं जिनसे, निस्सन्देह, योजना मजबूत होगी किन्तु जिनको विशेषतः इस दृष्टिकोण से रखा गया है जिससे रोज़गार बढ़ाने की परिस्थितियों में सहायता मिले। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में बनाई गई कोई भी योजना रोज़गार पर असर डाले बिना नहीं रहती तथा कोई भी व्यक्ति रोज़गार की समस्या को सारी आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखे बिना नहीं समझ सकता है। फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि कुछ दिशाओं में अतिरिक्त प्रोग्रामों के लिये भी गुंजाइश है। इन प्रोग्रामों में सबसे पहला स्थान छोटे उद्योगों को सहायता तथा प्रोत्साहन देने वाले प्रोग्राम को दिया जाना चाहिये। खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड तथा हस्तकरघा और दस्तकारी बोर्ड जैसी संस्थाओं का हाल ही में कायम किया जाना इस ओर महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाना चाहिये क्योंकि अभी तक ऐसा होना सम्भव नहीं हो सका है। राज्यों को राज्य वित्त निगम बनाने तथा अन्य प्रकार से छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों की सहायता करने के लिये ५ करोड़ रुपये की राशि देने का विचार है। यदि कुछ छोटे नगरों और कस्बों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध की जा सके तो रोज़गार बढाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए थरमल प्लांटों को लगाने के लिये २½ करोड़ रुपये अलग रख दिये गये हैं।

ज्यों ज्यों योजना कार्यान्वित होती जा रही है, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में अनेक लक्ष्यों को पूरा करने में यातायात का महत्व और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। यह स्पष्ट है कि रेलों की सहायता के लिये हमें पर्याप्त रूप से तथा शीघ्रता के साथ सड़क यातायात का विस्तार करना पड़ेगा। यह एक पेचीदा विषय है तथा इससे करारोपण और लाइसेंस देने की नीतियों के प्रश्न उठ खड़े होते हैं, जिन पर एक विशेष कार्यकारी दल विचार कर रहा है। सड़क यातायात के विकास म

[श्री नन्दा]

वित्तीय संसाधनों की कमी ही शायद सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है बल्कि जिस सीमा तक यह अड़चन बनी हुई है। यदि राज्य सरकारें उपयुक्त योजनाओं, विशेष कर माल लाने ले जाने से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं, की सिफारिश करें तो हम ऋण देकर राज्यों की सहायता करने के लिये तैयार हैं।

काम देने का एक और रास्ता गृह व्यवस्था कार्यक्रमों के द्वारा निकल सकता है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें तथा अन्य अधिकारी उस सहायता का पूरा उपयोग करेंगे जो केन्द्रीय सरकार ने, योजना के अन्तर्गत, औद्योगिक गृह व्यवस्था कार्यक्रम के आधीन, कारखाने के मज़दूरों के लिये मकान बनाने के लिये देने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त हम इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को ऋण भी देने के लिये तय्यार हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिये कि जैसे जैसे योजना पूरी होती जायगी, बेकारी की समस्या का आकार घटता जायगा। फिर भी उन लोगों को किसी न किसी प्रकार का काम देने की आवश्यकता है जो बेकार हो गये हैं, तथा कोई भी काम जो उनको दिया जाय करने के लिये तय्यार हैं। योजना आयोग ने, इसी के लिये राज्यों से, काम देने तथा शिक्षण शिविर खोलने के प्रस्ताव रखने के लिये कहा है। हमारा विचार है कि सड़क बनाने, सिंचाई, विद्युत् तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसे काम के शिविर स्थापित किये जा सकते हैं जहां कोई भी व्यक्ति जिसे काम की आवश्यकता हो, जा सकता है। पढ़े लिखे तथा किसी प्रकार का काम जानने वाले व्यक्तियों के लिये विशेष प्रकार के शिक्षण के कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम कारखानों में, यदि उद्योगपतियों का सहयोग हमें प्राप्त हो, तथा टेकनिकल तथा कामकाज की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में, आयोजित किये जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार इस कार्य में आर्थिक सहायता करने को तय्यार है यदि इस से बेकारी को कम करने की आशा हो या बेकार हो जाने वाले लोगों को अपना व्यापार खड़ा करने में सहायता मिले।

शिक्षित समुदाय की बेकारी की जो समस्या आज हमारे सामने है वह तो शिक्षा प्रणाली की देन है, जो विगत वर्षों से चली आ रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ऐसी सिफ़ारिशें की हैं जिनका पालन करके भविष्य में बेकारी को कम किया जा सकता है।

इस बात पर बहुत मतभेद प्रदर्शित किया गया है कि ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय या बड़े बड़े कारखाने वाले उद्योगों को। हमने योजना में पहले से ही छोटे छोटे तथा कुटीर उद्योगों को सहायता देने का उपबन्ध किया है। इस सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है वह योजना में बताई जा चुकी है तथा सदन के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। छोटे-छोटे उद्योगों तथा बड़े बड़े कारखाने वाले उद्योगों में वास्तव में कोई संघर्ष नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि दो विरोधी धारायें हैं जिनमें से एक को चुनना है। जितना ही हम दोनों में समन्वय स्थापित कर सकेंगे उतना ही हम अपने आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने कुटीर उद्योगों को टेकनीक के ऊंचे स्तर तक ले जाना है। सौभाग्यवश, आज विज्ञान की उन्नति ने इस कार्य को सुगम बना दिया है। ग्रामों के विद्युत्करण द्वारा इस दिशा में बहुत कार्य किया जा सकता है। पंचवर्षीय योजना में इस बेकारी की समस्या का जो निदान रक्खा गया है वह इसी प्रकार के समन्वय पर आधारित है।

यह हो सकता है कि ग्रामोद्योग की चीजें इतनी सस्ती नहीं होंगी जितनी बड़े बड़े कारखानों की। सस्ता होना ही केवल एकमात्र ध्यान देने की बात नहीं है और भी बहुत सी बातें ध्यान देने की हैं जैसे अर्थव्यवस्था का

विकेन्द्रीकरण । इसके अतिरिक्त हमें गांवों की आर्थिक शक्ति का भी ध्यान रखना है । जहां तक मैं समझता हूं हमारी आर्थिक व्यवस्था में छोटे छोटे उद्योगों का बहुत बड़ा स्थान है । प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, कृषि में विज्ञान के उपयोग करने की आवश्यकता है । इसका अर्थ यह होगा कि उद्योगों तथा नौकरियों में और भी अधिक व्यक्तियों को खपाना पड़ेगा । अस्तु बड़े बड़े कारखानों में उनको खपाना कठिन है क्योंकि उस के लिये बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तथा उस में बहुत समय लगता है । इसलिये हमारे आर्थिक संगठन में एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई तथा पिछड़ी हुई टेकनीक का साथ साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है । इसीलिये हमारा सबसे बड़ा काम दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना है । इसके लिये, यदि उपकर से काम न चला, तो हमें कोई अन्य उपाय खोजना पड़ेगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि हमारे उद्योग के कम दक्ष क्षेत्रों को अधिक दक्ष क्षेत्रों द्वारा सहायता दी जायेगी । क्या आपका तात्पर्य यह है कि ग्रामोद्योगों को सदा ही अधिक दक्ष उद्योगों द्वारा सहायता दी जाती रहेगी ?

श्री नन्दा : मैंने यह कभी नहीं कहा कि सदा ही सहायता दी जायेगी । हो सकता है दीर्घकाल तक सहायता दी जाय । कुटीर उद्योगों के सहायता देने के लिये उपयुक्त संगठनों को जन्म दिया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष गत वर्षों से अधिक उन्नति होगी ।

शिक्षा के प्रश्न पर कुछ भ्रम फैले हुए हैं । हम जनता के लिये शिक्षा की सुविधाओं को कम नहीं करना चाहते हैं । हमारे देश में शिक्षा बहुत कम है तथा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा मिलनी चाहिये । हमारा विचार यह है कि हमारे देश में समाज के अनेक भागों के लिये जो अवसर हैं उनकी तुलना में यदि किसी एक प्रकार की शिक्षा अधिक होगी तो लोगों में उतनी बेकारी उत्पन्न हो जायेगी । १९४७–४८ की तुलना में मैट्रिक पास व्यक्तियों की संख्या में लगभग २५ प्रतिशत तथा बी० ए० पास व्यक्तियों की संख्या में ७५ प्रतिशत वृद्धि हुई है । परन्तु हमारे आर्थिक संगठन में इतनी उन्नति नहीं हुई है । कुछ विशेष प्रकार के शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है । इस लिये हमें अपनी शिक्षा को नानाविधीय बनाना पड़ेगा तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना पड़ेगा जिससे कि यह दोषपूर्ण असन्तुलन दूर किया जा सके ।

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था बेकारी बढ़ने का कारण पंचवर्षीय योजना का ठीक प्रकार से कार्यान्वित न होना है । यदि वास्तव में कुछ कमियां रह गई हैं जो अनुभव के पश्चात् अब ज्ञात हो सकी हैं तो हम प्रसन्नतापूर्वक उनमें संशोधन कर उन्हें ठीक कर सकते हैं । किन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए योजना में कोई त्रुटि नहीं है फिर भी योजना परिवर्तनशील है और उसमें स्थितियों के अनुसार संशोधन किये जाने वाले हैं । ग्रामों में वास्तव में कार्य के अवसर तथा जीविका के साधन कम ही हैं । योजना के आरम्भ में ही ज्ञात हो गया था कि देश में कच्चे माल तथा खाद्य की कमी है । योजना आयोग ने इस दिशा में सुधार करने की ओर ध्यान दिलाया है । ऐसे देश में जहां लगभग ७० प्रतिशत लोग कृषि करते हों, उन्नति का एकमात्र यही साधन रह जाता है। मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि यदि योजना में इस ओर इतना ध्यान न दिया गया होता तो बेकारी और भी अधिक बढ़ गई होती तथा हम लोगों की स्थिति और भी खराब होती । कच्चे माल

[श्री नन्दा]

की कमी के कारण हमारे प्रमुख उद्योग बेकार पड़े हुए हैं, और यदि हम नये निर्माण कार्य आरम्भ करते चले जायेंगे तो समस्या और भी उलझती जायेगी। ऐसा करने से पूर्व हमें देखना यह है कि हमारी विद्यमान निर्माणशालाओं को उचित मात्रा में कच्चे माल मिलते हैं।

एक बात और है वह है ग्रामीणों की क्रय शक्ति जो प्रत्येक प्रकार के औद्योगिक विस्तार के लिये एक दृढ़ नींव की स्थापना कर सकती है। माल क्रय कौन कर रहा है? इसका तात्पर्य यह नहीं कि अन्य क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा की जा रही है।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): माननीय मंत्री सभापति को सम्बोधित कर रहे हैं अथवा इस पक्ष के माननीय सदस्यों को?

श्री नन्दा : मैं सभापति को सम्बोधित कर रहा हूं, किन्तु यहां के सदस्यों के हित के लिये।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): हम माननीय मंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं।

श्री नन्दा : मैं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के विषय में बता रहा था कि वे उचित थे। यातायात तथा उद्योगों की अन्य आवश्यकताओं के लिये भी व्यवस्था की गई थी। हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों की दृष्टि से वे काफी न हो किन्तु फिर भी उस दिशा की ओर भी हम परिस्थितियों के साथ ही चलने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारा जोर कृषि सम्बन्धी विकास, सिंचाई तथा विद्युत् पर अब तक बढ़ता जा रहा है।

माननीय सदस्य श्री जी० डी० सोमानी तथा मेरे साथी कि मंत्री के निजी तथा सरकारी क्षेत्र में अन्तर के विषय में कोई विशेष भेद नहीं है। यदि वास्तव में देखा जाय तो सरकारी क्षेत्र कर क्या रहा है? कृषि, सिंचाई, विद्युत आदि में वह किस को लाभ पहुंचाने जा रहा है। इसका सारा ही व्यय निजी क्षेत्र की सहायता के लिये होता है, जब तक कि माननीय सदस्य का निजी क्षेत्र का अर्थ कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों से न हो। हमारा ऐसा विचार नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : बनिये।

श्री नन्दा : मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि बेकारी में लगातार कमी करने व जीविका सम्बन्धी सुविधायें तथा अवसर प्रदान करने में समाज का कितना भी अधिक त्याग इसके लिये अत्यधिक नहीं होगा। इस त्याग में उन सभी को समान रूप से हाथ बंटाना होगा जो इसमें सहयोग दे सकते हैं। यह ग्रामों में और अधिक पंचायतें, सहकारी समितियां तथा उत्तम एवं सुसंगठित संगठन जैसी नई एजेंसियों के निर्णय करने का प्रश्न है। सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इस सबका ध्येय यही है कि हम अधिक कार्य करें, व उत्पादन तथा विकास बढ़ायें। जब तक कि लोग स्थिति की आवश्यकताओं से जानकारी प्राप्त करने तथा यथाशक्ति कार्य करने के लिये तत्पर न होंगे सरकार की केवल योजनाएं ही कुछ नहीं कर सकतीं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गए—

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट): क्या यह वाद-विवाद ६ बजे समाप्त होगा अथवा चलता रहेगा?

अनेक माननीय सदस्य : हम जारी रखेंगे।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

पंडित एस० सी० मिश्र तथा श्री के० पी० त्रिपाठी खड़े हो गए--

सभापति महोदय : वाद-विवाद साढ़े छः बजे तक होता रहेगा।

श्री अलगू राय शास्त्री : इस प्रस्ताव पर बहुत बहस हो चुकी है, अब तो अनइम्प्लायमेंट और बेकारी का सामना करने के लिये कोई काम करना चाहिये।

सभापति महोदय : ऐसी दशा में किसी को समापन के लिये प्रस्ताव रखना पड़ेगा।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब इस प्रश्न पर मत लिया जाये।"

बेकारी समस्या की भांति ही यह संकल्प भी समाप्त किया जाना चाहिये। इस पर अनिश्चित समय तक विचार नहीं किया जा सकता।

श्री जोकीम आल्वा : इस पर मत लिया जा सकता है।

श्री राधेलाल व्यास : कुछ राज्यों को अवसर ही नहीं मिला था।

सभापति महोदय : तब इस वाद-विवाद को बन्द करना ही उचित होगा।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री आल्वा अभी बोलेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे : एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान्। मैंने समापन प्रस्ताव रखा था। अब सदन का मत लिये बिना संकल्प को चालू रखना चाहिये। (**अन्तर्बाधा**)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न यह है :

"कि अब इस प्रश्न पर मत लिया जाये।"

मत विभाजन हुआ : पक्ष में २६; विपक्ष, ११५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

६ बजे म० प०

श्री जोकीम आल्वा : बेकारी के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस्पात, ऊन, जूट, तथा अल्मोनियम व इन सब से अधिक महत्व-पूर्ण है कृषि जिनमें उन्नति करने से इस समस्या को हल किया जा सकता है। इस विषय में सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार के मंत्रि-गण तथा संसद् सदस्य अपने आराम के अतिरिक्त यह नहीं जानते कि बेकारी में किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम तो आई० सी० एस० लोगों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वही सरकार चलाते हैं तथा वे लाखों करोड़ों नवयुवक जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था, निकाल बाहर किये गये। इन नवयुवकों में बहुत से विश्व विद्यालय तथा विदेशों की उपाधियां प्राप्त लोग भी थे। ऐसे लोग या तो कम्यूनिस्ट बन गए या छोटी-छोटी नौकरियों से जीविका चला रहे हैं। यदि इन आई० सी० एस० अफसरों की जगह पर उन नवयुवकों को नियुक्त किया गया होता तो अधिक उत्साह एवं लगन से कार्य हो सकता था; क्योंकि उन अफसरों में इन गुणों का अभाव है।

श्री शर्मा के सन्तति निग्रह के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत में न तो 'बथ कंट्रोल' ही लागू होगा और न वे पाप ही हो सकेंगे जो अमरीका में किये जाते हैं। आज रूस की प्रति व्यक्ति आय इटली के बराबर है, तीन वर्षों बाद फ्रांस के बराबर हो जायेगी तथा आगामी १० या १५ वर्षों में अमरीका के

[श्री जोकीम आल्वा]

बराबर हो जायेगी। जब रूस जैसा देश अपने यहां की आपत्तियों एवं कठिनाइयों को हल कर सकता है तो भारत इससे क्यों शिक्षा ग्रहण नहीं करता? जब चीन तथा रूस अपनी आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा सुधार कर सकते हैं तो भारत की उन्नति में भी कोई संशय नहीं किया जा सकता। रूस, चीन तथा भारत बहुत बड़े देश हैं तथा मानवता के प्रधान हैं। इनकी अर्थ-व्यवस्था भी समान ही होनी चाहिये क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मन्त्रियों की ये योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं। आपने उन युवक-युवतियों के लिये क्या कार्य किया है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य आन्दोलनों को सफल बनाया है? क्या उनको आई० सी० एस० जैसे उच्च पदों पर नियुक्त किया जायेगा अथवा उन्हें जीवित रहने के लिये यों ही दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? वह तो कहिये कि हमारे प्रधान मंत्री बड़े दूरदर्शी नहीं हैं, जो उनकी कठिनाइयों को समझते हैं। यदि ये उपाय असफल हुए तो पता नहीं देश की क्या दशा हो।

रूस ने औद्योगिक उन्नति कर ली है, जबकि हम अभी अंधकार में ही भटक रहे हैं। हमको शीघ्र ही इस्पात की निर्माण-शालायें स्थापित करनी होंगी।

अमरीका ने अपनी सारी धन राशि रक्षा में प्रतिभूतियों के रूप में दे दी है। इस राशि को अमरीका भारत, मिश्र, तथा अन्य देशों के लिये एक अनुपात में क्यों नहीं रख देता? आज के समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है कि अमरीकी निधि-चन्दा-अतिरिक्त निधि तथा एक-एक-पाई राशि अमरीकी फर्मों की इच्छा पर रख दी गई है।

हमें इस्पात के उत्पादन को दुगना तिगना बढ़ाना चाहिये, और जब तक हम अपने प्रमख उद्योगों के लिये कुछ नहीं करते, हम प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकते। रूस में कई हजार नगर नष्ट हुए, लाखों करोड़ों व्यक्ति बेघर हुए और हजारों कारखाने नष्ट हुए, परन्तु उन्होंने अपने विस्थापित व्यक्तियों की समस्या सुलझाने के लिये रुपया उधार नहीं लिया। परन्तु हम अपने ७५ लाख पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या सुलझाने के लिये अमरीका से बहुत ऋण ले रहे हैं। जब हिसाब करने का समय आएगा, तो हम अपने देश में खाने के लिये गेंहूं भी बचा नहीं सकेंगे।

हमारी नौवहन की दशा भी अच्छी नहीं है। समुद्रीय यातायात में १९½ प्रतिशत पर भारतीय जहाजों का अधिकार है। हमारे पास अधिक जहाज नहीं हैं; तो भी योजना आयोग अथवा भारत सरकार अमरीका से २५ पुराने जहाज ख़रीदने की योजना क्यों नहीं बनाती ताकि हमारी नौवहन शक्ति बढ़े। हम उन जहाजों के द्वारा विश्व के अन्य देशों में अपना व्यापार बढ़ा कर बेकारी को बहुत कुछ कम कर सकते हैं। अतः हमें अपने जहाजों को बढ़ाना चाहिये।

पटसन से १९३८ में ३४० लाख डालर की आय हुई और १९५१ में केवल १८० लाख डालर की। कारण यह है कि कलकत्ता में हुगली के बैंकों के साहूकारों की जेबों में सारा लाभ जाता है। यदि माननीय मंत्री और प्राधिकारी इसके आंकड़ों पर विचार कर शीघ्र कार्यवाही करें, तो हमारी राष्ट्रीय आय स्वयंमेव बढ़ सकती है, और दुखी जनता को लाभ पहुंच सकता है।

१९४८–४९ में ३ करोड़ की, तथा १९५२ में ८ करोड़ की ऊन बाहर भेजी गई और १९५३–५४ में १६ करोड़ की होनी चाहिये। हमें अपनी बंजड़ भूमि में भेड़ों को पाल कर ऊन का उत्पादन बढ़ाना चाहिये, जिससे बहुत

से युवकों और युवतियों को काम मिलेगा, और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

वस्त्र निर्माण का उत्पादन निस्सन्देह १९५६ के लक्ष्य से बढ़ गया है, परन्तु यह उद्योग अवांछित व्यक्तियों के हाथ में होने के कारण भारत की जनता निर्धनता और बेकारी से पिस रही है। १०,००० परिवारों को क्या अधिकार है कि वे ३५ करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करें। जब तक यह उद्योग इन थोड़े से लोगों के हाथों में रहेगा, गरीबी और भूख देश से नहीं हटाई जा सकती। हम अधिक समय के लिये इन थोड़े से परिवारों को समस्त देश की लक्ष्मी पर अधिकार नहीं करने देंगे। हम सदस्यगण बेशक यहां आराम से बैठे हैं, परन्तु जनता ने हमें उनके हितों का चिन्तन करने के लिये चुना है। हमारा कर्तव्य है कि इन चोर बाजारों से बुरे ढंग से कमाई हुई लक्ष्मी को छीन कर उसे देश की अर्थव्यवस्था में लगायें। मुझे आशा है कि यदि हम शीघ्र उपाय करेंगे तो देश की अर्थ-व्यवस्था सुधर सकती है।

हम १५,००० टन एल्यूमीनियम मंगवाते हैं, और केवल ३,००० टन एल्यूमीनियम भारत में पैदा होता है। हमें शीघ्र ही इसका आयात करना चाहिये, जैसे हम टाटा इस्पात समवाय के लिये लौह की सलाखें आदि मंगवाते हैं। हमें इस मामले को शीघ्र ही अपने हाथ में लेना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री एस० सी० मिश्र।

पंडित एस० सी० मिश्र : एक कथा प्रचलित है कि एक पण्डित जी आंकड़ों में प्रवीण थे। एक बार उनको एक नदी पार करनी पड़ी। उस ने किनारे खड़े होकर अपने छोटे और बड़े बच्चों को नदी पार करने के लिये आज्ञा दी। छोटे बच्चे नदी के बहाव में आकर बहने लगे तो पण्डित जी ने अपनी जेब से आंकड़े निकाल कर कहा कि कुछ नहीं हुआ, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब पिछली बार वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, तो वे साक्षात उस पण्डित जी के स्वरूप थे। परन्तु वे बच्चे जो आज डूब रहे हैं, वे पण्डित जी, अर्थात् वित्त मंत्री के नहीं, अपितु साधारण जनता के हैं। हमारे अंक शास्त्री केवल शरीर की गांठों का हिसाब रखते हैं, उनसे सम्बद्ध नसों और नाड़ियों का विचार नहीं करते।

उनके आंकड़ों के अनुसार उद्योग द्वारा लोग बेकार नहीं बनाए जा रहे। हमारे जितने भी उद्योग प्रारम्भ किये जाते हैं उन में से अधिकतर पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा प्रारम्भ किये जाते हैं, और प्रत्येक उद्योग के द्वारा लोगों से काम छीन लिया जाता है। जैसे चीनी और मिट्टी के बर्तन गांवों में बनाये जाते थे, और गांव की एक अर्थ-व्यवस्था बनी हुई थी, परन्तु बड़े उद्योगों के प्रारम्भ होने से प्रति वर्ष वह अर्थ-व्यवस्था बिगड़ जाती है और करोड़ों लोग बेकार हो जाते हैं। योजना मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नवीन योजना बनाते समय इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि लोग बेकार न हो जाएं। यदि वे साम्यवाद को नहीं अपना सकते तो उनको मिश्रित अर्थ व्यवस्था को तो अपना ही लेना चाहिये। जब यह प्रश्न उठा कि देशी अल्प उद्योगों के संरक्षणार्थ बड़े उद्योगों पर उपकर लगाया जाना चाहिये, तो कुछ सदस्य नाराज हो गये थे। मैं समझता हूं कि सरकार को समस्त देश की भलाई के लिये यह करना चाहिये कि प्रथमतया ऐसे बड़े उद्योगों को विकसित न होने दिया जाय, जिनके कारण लोग बेकार हो जाते हैं। देहली में ही देखिये; बसों और लारियों के कारण तांगे वालों का धंधा नष्ट-प्राय हो गया है। कहा जाता है कि तांगा महंगा पड़ता है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। तांगा दो आने में दो मील ले जाता है और बस में भी इतना ही खर्च पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आवर्त्तक लागत है। यह आवर्त्तक

[पंडित एस० सी० मिश्र]

लागत जाती कहां है ? हमारे बड़े मंत्रियों में से किसी को भी कार की आवश्यकता नहीं है। इंगलिस्तान में भी वजीर बसों में जाते हैं। हम भले ही नवीन चीजें बनाएं, परन्तु इस ढंग से, कि छोटे साधनों से आजीविका कमाने वाले लोगों को कोई हानि न पहुंचे। इस समस्या पर सब दृष्टि से विचार करना चाहिए।

एक सदस्य : क्या भूमिविहीन मजदूर ?

पंडित एस० सी० मिश्र : मैं जानता हूं कि वे भूमिविहीन मजदूरों के विषय में बात कर रहे हैं, मैं भूमि समस्या को भी लूंगा। शायद मेरे मित्र यह समझते हैं कि भूमि के पुनर्वितरण की बात केवल विवाद का ही विषय है। यह केवल बेकारी की समस्या को काम में लगे हुए लोगों में वितरण करेगी। माननीय सदस्य अमरीका की नकल करना चाहते हैं, जहां प्रत्येक औद्योगिक मजदूर के पास ८ हजार रुपये की मशीन होती है, जबकि भारत में एक मजदूर के लिये केवल ५०० रुपये की मशीन होती है। हम उन से कितने पिछड़े हुए हैं। एक सदस्य ने कहा कि हमें विश्व ऋण लेना चाहिये और मशीनें खरीदनी चाहियें।

मैं अत्यावश्यक चीजों के लिये ऋण लेने के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु होता क्या है कि भोग विलास की वस्तुएं भारत में बहुतायत से आती हैं। मैं कहता हूं कि भोग विलास की समस्त वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। और सब को देशी वस्तुओं से ही संतुष्ट रहना चाहिये। केवल हमारे उत्पादन को बढ़ाने में सहायक वस्तुओं को मंगवाना चाहिये। प्रत्येक देश ने ऐसा किया है। देश में बहुत बेकारी है, उन बेकार व्यक्तियों की शक्ति की उपयोग होना चाहिये। उधर हम विश्व बैंक से ऋण मांगने की बात सोचते हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री केवल जनसंख्या की गिनती करते हैं। मैं कहता हूं कि क्योंकि पचास लाख बच्चे उत्पन्न हुए हैं इस लिये.....

सभापति महोदय : सदन की बैठक ७ दिसम्बर दिन सोमवार के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, ७ दिसम्बर १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।